खण्ड–4, अंक–2
मंगलवार, 29 कार्तिक, शक संवत् 1923
(20 नवम्बर, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)

(तृतीय सत्र, 2001)

(खण्ड 4 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	क
सदन की कार्यवाही पर औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास ...	1–2
प्रश्नोत्तर	3–16
उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2001 ...... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	16
संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) विधेयक, 2001 ...... (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 ...... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	17
उत्तर प्रदेश राज्य (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 ...... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	17
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001...... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	17
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 ...... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	17
वर्तमान सरकार को शराब, खनन, भू–माफिया का मंत्रिमण्डल बताये जाने के पूर्व मुख्यमंत्री के कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना तथा औचित्य का प्रश्न	17–24
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के प्रथम अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतीकरण ...	24
वर्तमान सरकार को शराब, खनन, भू–माफिया का मंत्रिमण्डल बताये जाने के पूर्व मुख्यमंत्री के कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना तथा औचित्य का प्रश्न	24–28
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	28
थाना रेन्ज देहरादून में साल के ढुलान में हुए घोटाले की जांच के सम्बन्ध में	28–29
सेवानिवृत्त अध्यापकों की पेंशन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ...	29
उत्तरांचल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001 ...... (पुरःस्थापित)	29

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001 ...... (पुरःस्थापित) ...	30
उत्तर प्रदेश के माल प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 ...... (पुरःस्थापित)	30
उत्तरांचल राज्य में स्थापित मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में अंगों का प्रत्यारोपण सुविधा के सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प ...... (स्वीकृत)	30–32
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना का प्रस्ताव ...... (स्वीकृत) ...	32
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	33–34
विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 3 मई, 2001 को श्री अम्बरीष कुमार द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न सं0 1 के विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा	34–35
उत्तरांचल को सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी अधिकार देने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा 8 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 1 पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा	35–43
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	43

उत्तरांचल विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2001

निम्नांकित सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहे :–

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अम्बरीष कुमार
3. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4. श्री इसम सिंह
5. श्री केदार सिंह फोनिया
6. श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7. श्री काजी मो० मोइउद्दीन
8. श्री तिलक राज सिंह बेहड़
9. श्री तीरथ सिंह रावत
10. श्री नारायण सिंह राणा
11. श्री नारायण राम दास
12. श्री नित्यानन्द स्वामी
13. श्रीमती निरूपमा गौड़
14. श्री बिशन सिंह चुफाल
15. श्री भगत सिंह कोश्यारी
16. श्री भारत सिंह रावत
17. श्री मातबर सिंह कण्डारी
18. श्री मुन्ना सिंह चौहान
19. श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
20. श्री रघुनाथ सिंह चौहान
21. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
22. श्री राजेन्द्र सिंह
23. श्री राम सिंह सैनी
24. श्री लाखी राम जोशी
25. श्री बंशीधर भगत
26. श्री सुरेश चन्द्र आर्य
27. श्री हरबंस कपूर
28. श्री ज्ञान चन्द

मंगलवार, दिनाँक 20 नवम्बर, 2001 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

(श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री अम्बरीष कुमार, काजी मो0 मोइउद्दीन के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें। मैं सभी की बात सुनूँगा लेकिन पहले प्रश्नकाल होना चाहिए।

सदन की कार्यवाही पर औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही पर औचित्य का प्रश्न है। (व्यवधान) इस गम्भीर प्रश्न पर आप हमें सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी सूचना न सुनने की बात तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि पहले प्रश्नकाल को पूरा कर लिया जाये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह संवैधानिक प्रश्न है, इसे आप सुन लें।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने श्री भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह न तो कोई संवैधानिक बात है। यह अखबार में छपी खबर (विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन बोल रहे हैं। कृपया शान्त रहें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, ये हमारे सम्मानित सदस्य हैं, मैं नहीं कहता कि बैठ जाएं। आप चाहें तो उस विषय पर चर्चा कर लें, यह तो विषय भी ऐसा नहीं है जिस पर चर्चा आवश्यक हो।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे न सुनने की बात तो कह ही नहीं रहा हूँ। लेकिन पहले प्रश्नकाल होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपको अधिकार है आप चाहें तो उसे निरस्त कर दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 300 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 300 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। नियम 300 में लिखा है कि ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्योंकि आप जो विषय कह रहे हैं, वह आपके अनुसार महत्वपूर्ण हो सकता है, चूँकि यह प्रश्नकाल है, प्रश्न पूरे उत्तरांचल से सम्बन्धित है और महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल का भरपूर उपयोग करने के लिए यह सदन यहाँ पर बैठा है। मेरा आग्रह है कि मैं आपके औचित्य के प्रश्न को सुनूँगा और सबके विचार जानूँगा, लेकिन प्रश्नकाल तो होने दीजिए। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह जो नोटिस है यह औचित्य के प्रश्न का नहीं है, अगर आप औचित्य के प्रश्न पर दृष्टिपात करेंगे तो यह सरकार की वैधानिकता के ऊपर प्रश्नचिन्ह है।

श्री अध्यक्ष–

सरकार की वैधानिकता के ऊपर तो प्रश्नचिन्ह नहीं है। मा0 मुन्ना सिंह जी आप इतना भी विचलित न होइये। प्रश्नकाल होने दीजिए।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर विपक्ष के माननीय सदस्यों श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश, श्री अम्बरीष कुमार, श्री राम सिंह सैनी, श्री मुन्ना सिंह चौहान के वेल पर आ जाने के कारण तथा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

श्री मार्शल–

माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि सदन की कार्यवाही 11.40 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

बजटीय घाटे को पूरा करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग

**1—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज देने के सरकार के अनुरोध पर क्या परिणाम रहा। विशेष पैकेज न मिल पाने की दशा में घाटे को किस प्रकार पूरा किया जायेगा?

वित्त मंत्री (डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक")—

राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। इसके कारण आने वाले समय में ऋण एवं ब्याज के भुगतान के दायित्व में कमी आयेगी। राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से समय—समय पर अनुरोध किया गया है, जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

श्री अम्बरीष कुमार—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि राज्य के बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज देने के सरकार के अनुरोध का क्या परिणाम रहा? उत्तर आया, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। जहाँ तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने की बात है, वह अलग प्रकरण है, उसके बाद से उत्तरांचल सरकार केन्द्र से मांग करती रही कि उसे विशेष पैकेज दिया जाए। मा0 मंत्री जी ने स्वयं इसी सदन में बताया था कि बजटीय घाटा 1061 करोड़ रुपये का है, तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने पर वह 1061 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा और केन्द्र से जो अनुरोध किया है उसका परिणाम क्या हुआ? उस विषय में यदि केन्द्र सरकार हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है तो सरकार इस घाटे को किस प्रकार पूरा करेगी?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"—

मान्यवर, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने पर मैंने कहा भी था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष इंगित किया था कि ढाई सौ करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमको ऋण का, ब्याज के रूप में देना पड़ता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर जो हमको 90 प्रतिशत ऋण के रूप में मिलता था और 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में, जो 70 और 30 के अनुपात में मिलता था, वह अब वितरित हो जाएगा, हमको 90 प्रतिशत अनुदान से मिल जाएगा और 10 प्रतिशत हमको ऋण होगा। तो वह जो राशि योजनाओं पर ब्याज के रूप में ढाई सौ करोड़ रुपया देना पड़ता था, उसमें कमी आ जाएगी, एक तो यह लाभ मिल जाएगा, दूसरे

अभी हमारे राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी और केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से मिले हैं। जब केन्द्रीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर आये थे तो उन्होंने मंत्रिपरिषद् के साथ बैठक की थी, उस बैठक में उन्होंने कहा था कि इस राज्य को आर्थिक संकट में नहीं आने देंगे, जब-जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, केन्द्र सरकार मदद कर रही है। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हो जाएगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, अभी माननीय अम्बरीष कुमार जी ने जो प्रश्न पूछा था, उस मूल प्रश्न का प्रथम अंश ही यह है कि केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज देने के सरकार के अनुरोध का क्या परिणाम हुआ? माननीय मंत्री जी ने इस विषय में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से साफ तरीके से यह जानना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ने इस राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कोई स्पेशल पैकेज भारत सरकार को भेजा, या नहीं और कितने आर्थिक पैकेज की डिमाण्ड स्टेट गवर्नमेंट ने भारत सरकार से की?

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हम शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत थे, विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, वह भी पैकेज के रूप में ही देखा जाना चाहिए। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने पूछा है कि हमने क्या मांग की है? हमने कहा था कि 1261 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा है और 6 करोड़ रुपया हम अवस्थापना के उच्चीकरण के लिए लगभग 5 वर्ष तक चाहते हैं, हमें 18 सौ करोड़ रूपया शुरू से ही प्रतिपूर्ति के रूप में मिलना चाहिए। हम लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं और इस विषय में बैठकों में भी जा रहे हैं, उसी दिशा में केन्द्र सरकार के विचाराधीन यह विषय है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, जैसा अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, हम लगातार प्रयासरत हैं। जो 18 सौ करोड़ रुपया घाटा है, वह 18 सौ करोड़ रुपया हमें केन्द्र सरकार देगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा देने से जो लगभग 9 सौ करोड़ रुपया मिलेगा, उसके अलावा केन्द्र सरकार ने अभी तक कितना धन या कितना पैकेज देने की स्वीकृति प्रदान की है। दूसरी बात आपने कही है कि धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी तक राज्य में यह स्थिति है कि जिला प्लान का पैसा, जिलों में नहीं गया और विकास की गति बिल्कुल चौपट हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम यह जानना चाहते हैं कि क्या विशेष प्रयास किये जायेंगे ताकि यहाँ विकास का कार्य हो और केन्द्र सरकार विशेष पैकेज जल्दी से जल्दी स्वीकृत करे।

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि आप एक वृहद योजना बनाकर भेजें। योजना आयोग में भी एक बैठक होने जा रही है ताकि विकास की योजनाएं अधिक से अधिक आ सकें। हम लोग जल्दी कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह तो मैं काफी समय से सुन रही हूँ कि आपने पैसे की मांग की है। जिला योजना आज तक मंजूर नहीं हुई है तो विकास कैसे होगा। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि विशेष पैकेज न मिलने की वजह से जिला योजनाएं मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। एक भी रुपया किसी भी विभाग के पास नहीं है। क्या यह आपके संज्ञान में है?

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि किसी भी जिले का जिला प्लान स्वीकृत नहीं है। सभी जिलों के जिला प्लान स्वीकृत हो चुके हैं। लगभग तीन सौ करोड़ रुपया जिला प्लान और स्टेट प्लान से रिलीज हो चुका है। हमने अपेक्षा की है कि सभी विभाग अपनी समीक्षा करके प्रगति एक सप्ताह में भेजें। तीन सौ करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि धनराशि स्वीकृत कर दी गई। क्या उसमें नैनीताल और ऊधमसिंह नगर भी शामिल हैं। मान्यवर, मैंने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब माह नवम्बर अर्थात् वित्तीय वर्ष का अन्तिम चरण चल रहा है और मार्च तक यह वित्तीय वर्ष रहता है। यह वर्ष योजनाओं के हिसाब से हमारा जीरो वर्ष हो गया है। इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि यदि मार्च तक विशेष पैकेज स्वीकृत न हो पाए तो उस दशा में हमारे पास क्या योजना होगी? इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी बताएं।

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जिला प्लान संयुक्त रूप से नहीं होता है। विभिन्न विभागों का अलग–अलग प्लान होता है। वित्त विभाग इसकी स्वीकृति नहीं करता है, यह विभागों के माध्यम से होता है। माननीय अम्बरीष जी ने कहा कि कम समय रह गया है। श्रीमन्, तीन सौ करोड़ से भी अधिक की यह धनराशि विकास योजनाओं के लिए ही है। भारत सरकार ने हमको आश्वस्त किया है कि इसके लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में तीन सौ करोड़ रुपये देने की बात कही है और सौ करोड़ रुपये हमें मिल भी गये हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमें माननीय मंत्री जी से स्पष्ट स्पैसिफिक उत्तर चाहिए। जिला योजना के बारे में उन्होंने बताया कि हमने तीन करोड़ रुपया रिलीज कर दिया है। क्या उन्होंने नैनीताल और ऊधमसिंह नगर का पैसा रिलीज कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीया इन्दिरा जी यह जिला योजना के दायरे में नहीं आ रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि हमने रिलीज कर दिया है। कृपया वह बतायें कि वह किस विभाग ने रिलीज किया।

श्री अध्यक्ष–

आपको पूरी जानकारी माननीय मंत्री जी दे देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, आपने ऊधमसिंह नगर की बात कही है। ऊधमसिंह नगर में 5 करोड़ रुपया, पिथौरागढ़ में 4 करोड़ 97 लाख रुपया और नैनीताल में 4 करोड़ 87 लाख रुपया जिला प्लान में अलग-अलग मदों में गया है। आप चाहेंगे तो पूरा डिटेल मिल जायेगा। अधिकांश विभागों में जिला योजना का पैसा है, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये से ऊपर चला गया है। केवल बिजली विभाग ऐसा है, उसको जो पहले पैसा दिया जाता है वह कर्ज के रूप में दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक ऐसी योजना बनी कि बजाय इसके स्टेट से कर्ज के रूप में दिया जाय। वह जिला प्लान में स्टेट प्लान से जायेगा। उसमें भी पैसा जा रहा है।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताजपोशी के तुरन्त बाद एक बैठक बुलाई थी, उसमें हमने कहा था कि हरिद्वार को विकास योजना में पैसा नहीं मिला, इस पर आश्चर्य का इजहार किया था। अभी आपने कई नाम लिए उसमें भी हरिद्वार का नाम नहीं लिया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरे पास डिटेल तो नहीं है। लगभग दो करोड़ तिहत्तर लाख रुपया चला गया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न था उसका छोटा सा अंश है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। मा0 वित्त मंत्री जी ने मा0 वित्त मंत्री भारत सरकार के देहरादून आगमन का संदर्भ दिया, क्योंकि उसका संज्ञान आ गया है। यदि मेरी जानकारी सही है तो उन्होंने यह बात भी इंगित की कि प्रदेश सरकार के पैकेज से सम्बन्धित अनुरोध स्वीकार किया जायेगा, बशर्ते कि वह पैकेज रिसोर्स जनरेशन का पैकेज हो। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि रिसोर्स जनरेशन का क्या कोई पैकेज सम्मिट किया गया। रिसोर्स जनरेशन के एक-दो बिन्दु क्या हैं।

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह प्रश्न कहीं का कहीं पहुँच गया है। यह प्लानिंग से सम्बन्धित प्रश्न है, यह इस दायरे में नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसमें हम व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं और योजना तैयार करके भेज भी रहे हैं। हमारी बहुत सारी योजनायें बन गई हैं।

तारांकित प्रश्न

पर्यटन को उद्योग का दर्जा

*1–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या पर्यटन मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने से सम्बन्धित सरकार की योजना के मुख्य बिन्दु क्या हैं?

क्या सरकार ने इस योजना के लक्ष्यों के अनुरूप वित्त पोषण की व्यवस्था की है?

उक्त योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष में कितने व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है।

यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटर्न मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य की प्रथम पर्यटन नीति–2001 में नयी पर्यटक इकाइयों को सुख–साधन कर में छूट, होटल उद्योग हेतु सुख–साधन कर की प्रक्रिया का सरलीकरण, नये रोपवे, मनोरंजन पार्कों को स्थापित करने में मनोरंजन कर में छूट, पर्यटन में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु स्वरोजगारपरक योजना में राज सहायता, पर्यटन ग्रामों की स्थापना एवं पर्यटन पर आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने आदि नीतियों का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त योजनाओं में मुख्य रूप से निजी पूंजी निवेश प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना में स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में रु0 217,20 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

निजी क्षेत्र में रोजगार के सम्भावित अवसरों के अतिरिक्त उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 300 उद्यमियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के द्वितीय प्रस्तर में कहा है कि इसके अतिरिक्त उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना में स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में रु0 217,20 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गई है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पूँजीनिवेश के अब तक कितने प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं। दूसरा श्रीमन्, मा0 मंत्री जी के उत्तर का अन्तिम भाग है, उसमें आपने कहा है। .....

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में है कि निजी क्षेत्र में रोजगार के सम्भावित अवसरों के अतिरिक्त उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 300 उद्यमियों

को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन 300 उद्यमियों को जो स्वरोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है, तो उन उद्यमियों को सरकार द्वारा कौन–कौन सी रियायतें और सहायतायें दी जा रही हैं, संक्षेप में बता दें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन्, पर्यटन व्यवसाय एक व्यापक व्यवसाय है, इसमें स्वरोजगार की सम्भावनायें बहुत सारी हैं। जो स्वरोजगार योजना हमने बनाई है यह पिछली बार बनाई गई योजनाओं का एक संशोधित स्वरूप है। आज तक जो योजना बनाई गई हैं वह कितनी इफेक्टिव हुई, इसका सब को ज्ञान है, इसमें हमने एक संशोधन किया, कि इन्सेंटिव के रूप में जो धनराशि देते हैं वह इफेक्टिव धनराशि होनी चाहिए, जिससे उद्यमी कारगर काम कर सकें। इसके लिए हमने सोचा कि यह जो स्वरोजगार योजना है उसकी सीमा हमने ढाई लाख से बढ़ाकर दस लाख कर दी। उस पर 10 प्रतिशत अनुदान देने की योजना है।

मान्यवर, हमने इसी साल स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 217.20 लाख की धनराशि की व्यवस्था की है जिससे 300 उद्यमी लाभान्वित होंगे और यही उद्यमी आगे और लोगों को रोजगार देंगे, इससे लगभग 2–3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न प्वाइंटेड है, इसमें इन्होंने पूछा है कि कितने प्रस्ताव पास हुये हैं।

श्री केदार सिंह फोनिया–

जहाँ तक प्रस्ताव का प्रश्न है, हमारी योजना बन चुकी है। पर्यटन उद्योग स्पेश्लाइज्ड उद्योग है, अब हम यह चयनित करेंगे कि होटल के लिये, माउण्टेनियरिंग आदि के लिए कितने आवेदन मंगायें, इसका विज्ञापन, पेपर में निकालेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया, जो प्रश्न है, उसका मार्गदर्शन आपने किया, लेकिन मेरा प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में पूँजी निवेश के कितने प्रस्ताव पास हुये हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें इनका उत्तर आया है कि पूँजी निवेश प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, हमारी योजनायें बन चुकी हैं, योजनाओं का प्रमुख अंग है कि सरकार की ओर से इन्सेंटिव क्या मिला, वह हमने बता दिया है। अब हम समाचार पत्र के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में योजनाओं से लोगों को आमंत्रित करेंगे। पूँजी निवेश के कितने प्रस्ताव हमारे पास आ चुके हैं, यह सम्पूर्ण हो जाने के बाद ही कहना सम्भव है।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि पर्यटन उद्योग अपने आप में एक विशेष उद्योग है और उत्तरांचल में रोजगार उपलब्ध कराने में पर्यटन का मुख्य योगदान होगा। तो, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर्यटन नीति के तहत बेरोजगारों को भूमि भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी, जिससे वे होटल व्यवसाय को शुरू कर सकें। दूसरा, विशेष पर्यटन उद्योग के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने नयी पर्यटन नीति बनायी है, तो, मान्यवर, अभी तक जो पर्यटन नीति बनी है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की नीति में कोई विशेष अन्तर नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में पर्यटन विभाग, वन विभाग के सहयोग से हर्बल मसाज की कोई योजना बना रही है, जैसा कि केरल में हर्बल मसाज का उद्योग विकसित है, हर्बल मसाज यहाँ से केरल जाता है। 10–10 साल तक हर्बल मसाज में बुकिंग रहती है, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाएगी?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, उद्यमियों को भूमि देने की कोई योजना सरकार की नहीं है, क्योंकि शासन के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमि वे खुद उपलब्ध करा लें, बाकी इन्सेंटिव हम देंगे, 10 लाख रुपया उसी योजना का अंग है। दूसरा, माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश की नीति में कोई अन्तर नहीं है, इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत अच्छी पर्यटन नीति बनायी है, जो कि उत्तर प्रदेश की नीति से बिल्कुल अलग है, जिसकी सराहना हमारे सामने बैठे माननीय सदस्यों ने भी की है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा राज्य टूरिज्म डेस्टिनेशन स्टेट बनकर रहेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, विपक्ष ने पर्यटन नीति की ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी प्रशंसा की थी, वह तो चले गये, अब पर्यटन नीति का क्या होगा?

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम जमीन उपलब्ध नहीं कर सकेंगे। मान्यवर, हम पर्यटन ग्रामों का भी विकास करने जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत राजस्व की भूमि पर्यटन नीति में शामिल होनी चाहिए। ऋण देकर तो हम उन्हें केवल ऋणी ही बना सकते हैं तथा मैंने हर्बल मसाज की बात कही थी, उसका उत्तर नहीं आया।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, राजस्व की जमीन कहाँ है, इस बात को नीति में न रखते हुए भी, हम लोग स्वाभाविक रूप से राजस्व अधिकारियों को रिकमण्ड करते हैं कि फलां–फलां आदमी को वह भूमि दे दी जाए।

रेता और बजरी की बिक्री

*2–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे की राज्य की बहुमूल्य सम्पदा रेता और बजरी को किस माध्यम से बिक्री कराने की सरकार ने व्यवस्था की है?

श्री केदार सिंह फोनिया–

उत्तरांचल राज्य में रेता और बजरी की बिक्री उत्तरांचल खनिज नीति–2001 के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में वन विकास निगम द्वारा तथा वन क्षेत्रों से बाहर सरकारी निगमों से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। पर्वतीय क्षेत्र में छोटे–छोटे लॉट्स बनाकर स्थानीय लोगों को देने की भी व्यवस्था की गयी है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक तो रेता, बजरी में प्रभावशाली लोग रेता, बजरी को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि बरसात में उसे चार गुने दाम पर बेच सकें। सड़कों के दोनों ओर रेता के ढेर लगे रहते हैं, इससे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इस पर कई बार विभाग को लिखा भी गया है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई सख्त कानून बनायेंगे कि उन ढेरों को 4 गुना मूल्य पर न बेचा जा सके।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय पर्यटन मंत्री जी ने बहुत अच्छी उद्योग नीति बनाई है। मैं जनहित की बात कर रहा हूँ। आपने व्यवस्था की है कि आप उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये का ऋण देंगे। क्या सरकार उद्यमियों को बैंक से ऋण दिलाने के लिए सरलीकरण की व्यवस्था करेगी ताकि उद्यमियों को सरलता से ऋण मिल सके। क्या ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। पर्यटन विभाग या उत्तरांचल सरकार ऋण नहीं देती है। 2 लाख रुपये का अनुदान हम देते हैं। ऋण बैंक देता है। हर जिले में लीड बैंक हैं। हम लोग लीड बैंक से ऋण दिलाते हैं। जिन उद्यमियों को हम चिन्हित करेंगे, उसको लीड बैंक ऋण देगा। एक दो जिलों से उत्तर आना बाकी है।

मान्यवर, माननीय सदस्या ने प्रभावशाली लोगों का जिक्र किया है। प्रभावशाली शायद माफियाओं को कहते हैं। माफियाओं को हटाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। रेता का विपणन निगमों के माध्यम से किया जायेगा। जैसे कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम। यदि छोटे व्यापारी निगमों से खरीद कर रेता, बजरी इकट्ठा कर लें तो इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के अण्डर में है। इस खामी को दूर किया जाना

चाहिए। दूसरा, जो आपने पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे–छोटे लॉट्स बनाकर छोटे लोगों को काम दिया, उनको इतना कम रेता आवंटित किया गया है। .....

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जो छोटे–छोटे रेता मजदूर के लोग या छोटे लोगों को इतना कम रेता आवंटित किया गया। उनके यूनियन वाले मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया कि यह रेता दिसम्बर के अन्त तक बिक जायेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक वह भुखमरी के कगार पर होंगे। क्या मा0 मंत्री जी इस बात का संज्ञान लेते हुए उन छोटे रेता मजदूरों को अधिक रेता–बजरी आवंटित कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में रेता और बजरी में बड़े व्यवसाय की कोई गुंजाइश नहीं है और शासन का यह निर्णय है कि छोटे–छोटे लॉट्स में दिया जाय, इसलिए कि नदी का पाट संकरा होता है। इसलिए इसमें बड़े व्यवसाय की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने जिलाधिकारियों को पूरा अधिकार दे दिया है कि आवश्यकतानुसार निजी गृह निर्माण के लिए बजरी और रेता व्यवसाय की दृष्टि से छोटे–छोटे लॉट्स में दिये जाते हैं। अगर उसमें कुछ कमी आ जाती है, तो संज्ञान में लाया जाय, हम जिला अधिकारी को आदेशित कर देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कल बहुत संख्या में लोगों ने हमसे कहा कि दिसम्बर के अन्त तक हम भुखमरी के कगार पर आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई स्पैसिफिक बात हो तो मा0 मंत्री जी देख लेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि छोटे–छोटे लॉट्स बनाकर दिये जा रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्र में नदी के किनारे बेनाप और नाप दोनों प्रकार की जमीन है। नाप जमीन से निजी काश्तकार को तो जमीन देने का अधिकार आपने डी0एम0 को दे दिया है, जिससे वह व्यवसायिक स्तर में भी चल सकता है। बेनाप की यह स्थिति है कि इससे राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। इसमें किसी को लॉट्स नहीं दिये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम निगम से हट करके भी लॉट्स बना सकते हैं। मान्यवर, टनकपुर में भी ऐसी ही स्थिति है। स्थानीय लोगों को पट्टे दिये जायेंगे। जिनकी जमीन है या जो उसके किनारे बसते हैं, उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, नाप भूमि पर जिनका स्वामित्व होगा, उनका उस पर से रेता बजरी निकालने का पूरा अधिकार होता है। हमारे यहाँ दो प्रकार की भूमि है, एक नाप भूमि जो व्यक्ति विशेष की है और दूसरी है सरकारी भूमि। जितनी भी बेनाप भूमि है वह सब वन

निगम की या वन विभाग की भूमि है। हमने यह नीति बना दी है कि जो वन विभाग की भूमि है उस पर खनन का अधिकारी वन निगम का होगा। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि खनन की गुंजाइश है, अगर वन निगम खनन न कर रहा हो, आप हमारे संज्ञान में लायें और हम वन निगम से पूछेंगे कि क्यों खनन नहीं किया जा रहा है। वे नहीं करते हैं तब किसी व्यक्ति विशेष की बात आयेगी। इस पर पहला अधिकार वन निगम का है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रेता बजरी और पत्थर का जो खनन किया जा रहा है, कुछ स्थानों पर, यह अवैध रूप से किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था करेंगे।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, यह मामला चोरी का है। बिना लाइसेन्स के और बिना परमिट के रेता और बजरी उठाना चोरी नहीं तो और क्या है।

श्री राजेन्द्र शाह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो अभी चोरी की बात आई है, उसके सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि जो शिकायतें हमें मिलती हैं और उसमें गढ़वाल मण्डल विकास निगम के सम्बन्धित अधिकारी उन सुरक्षा कर्मी से कहते हैं जो इस कार्य को देखते हैं कि अपना वेतन अपने आप निकालो, इसकी माननीय मंत्री जी से शिकायत भी की थी। क्या ऐसी जगहों पर जाँच करने के लिए ऐसे दस्ते बनाये जायेंगे जो इस तरह की कमियों को पकड़ें?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैंने इसके अनुभवों के आधार पर रेत और बजरी के खनन के लिए एक सुव्यवस्थित नीति बनाई है और जिस बात का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, इसकी उन्होंने मेरे पास लिखित शिकायत भी भेजी है। हमारे संज्ञान में यह भी नहीं है कि जो चौकियाँ हैं वहाँ पर चौकसी सम्भवतः होती होगी, लेकिन इसकी हम जाँच करायेंगे, मैंने अपने सचिव महोदय से कह दिया है कि इसकी पूरी तरह से जाँच हो जाये। अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो उस पर कड़ाई से एक्शन लिया जायेगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने जिक्र भी कर दिया, अब तो माफिया का सरकारीकरण भी होने लगा है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम की जो अनियमिततायें समय–समय पर आई हैं उसे माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब से आपने नई खनिज नीति, माइनर मिनरल पिकिंग के बारे में आपने निर्धारित की है, जो चुगान के बारे में आपने रूल्स बनाये हैं, तो इस नीति को लागू करने के बाद हमारे पास राजस्व की, पूर्व की और अब के वर्षों की स्थिति क्या है? इससे स्वतः उत्तर आयेगा जो माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने किया है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, राजस्व का प्रश्न जो है यह सांख्यिकी का प्रश्न है, इस मूल प्रश्न में राजस्व की कोई बात नहीं आई, इसलिए इस प्रश्न पर उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह नीति के ऊपर प्रश्न है। मान्यवर, अगर इसका कोई अनुपूरक प्रश्न उठेगा तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसका बिन्दुवार सही उत्तर आयेगा, लेकिन कुछ तो इसके बारे में बतायेंगे कि विगत छः माह में क्या उपलब्धि रही है?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, जहाँ तक नीति का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल की नीति, पहली नीति से अच्छी निकली है।

मिनिरल एण्ड माइन्स फैक्ट्री चण्डाक को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में

*3–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ में स्थित कार्यरत एक मात्र मैग्नेसाइट उद्योग "मिनिरल एण्ड माइन्स फैक्ट्री चण्डाक" प्रबन्धन एवं श्रमिकों के बीच विवाद उत्पन्न होने से विगत 10 वर्षों से बन्द पड़ी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पिथौरागढ़ को उद्योग शून्यता होने से बचाने एवं श्रमिक एवं जनहित में उद्योग पुनः चलाने हेतु श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में आयोग गठित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0आई0एफ0आर0 के पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रयासों के असफल रहने पर आस्तियों की बिक्री हेतु पिकअप को कब्जा दिया जा चुका है।

हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक

*4–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्य 12 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों की भांति जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

व्यावहारिक रूप से अभी 12 जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, यद्यपि इनमें 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। हरिद्वार जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व में 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति के स्थान पर 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय पूल से विद्युत आवंटन होने, शीत ऋतु समाप्त होने के बाद अन्य जनपद व हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की योजना की जानकारी

*5–श्री राम सिंह सैनी–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो वह योजना क्या है?

श्री हरबंस कपूर–

उत्तरांचल में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर अनेक रोजगारपरक योजनायें प्रदान की गयी हैं। बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने हेतु सरकार उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप सदैव प्रयत्नशील है।

अतारांकित प्रश्न

काशीपुर सलोरा इण्टरनेशनल टेलीविजन कम्पनी में तालाबन्दी के फलस्वरूप कार्यरत कर्मचारियों को रोजगार की जानकारी

1–श्री राम सिंह सैनी–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि काशीपुर सलोरा इण्टरनेशनल टेलीविजन बनाने वाली कम्पनी ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार फैक्ट्री में कार्यरत 110 कर्मचारियों के रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करायेगी?

यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हाँ।

जी नहीं।

नेपाल सीमा से लगी हुई काली नदी पर खनन बन्द करना

2—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल सीमा से लगी हुई काली नदी पर खनन से काली नदी का बहाव भारत की ओर बढ़ रहा है? क्या सरकार इन क्षेत्रों में खनन की स्वीकृति बन्द करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केदार सिंह फोनिया—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत विभाग में लाईनमैनों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

3—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तरांचल में विद्युत विभाग में लाईनमैनों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में लाईनमैनों के 1,171 पद स्वीकृत हैं तथा 186 रिक्त पद हैं।

इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकाल चार घण्टे विद्युत आपूर्ति देने की योजना की जानकारी

4—श्री राम सिंह सैनी—

क्या ऊर्जा मंत्री जनहित में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकाल 4 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने की कोई योजना बनायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

उत्तरांचल में शीत ऋतु के दौरान विद्युत उत्पादन कम हो जाता है। शीत ऋतु के उपरान्त वृद्धि होने, केन्द्रीय पूल से विद्युत आवंटन होने के फलस्वरूप सायंकाल 4 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत में विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु लोहाघाट में डिविजनल कार्यालय खोलने के प्रस्ताव की जानकारी

5–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद चम्पावत में विद्युत व्यवस्था तीन डिविजनों द्वारा संचालित की जाती है? जिससे प्रशासनिक कार्य में दिक्कतें आती हैं?

क्या इस व्यवस्था के सुधार हेतु लोहाघाट में डिविजनल कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो कब तक इसका कार्यालय हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

हाँ।

जनपद चम्पावत में लोहाघाट सबडिविजन का उच्चीकरण कर खण्डीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस नये खण्ड की स्थापना जनवरी, 2002 तक की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरी 311 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय समाज कल्याण मंत्री जी एक अध्यादेश को सदन के पटल पर रखेंगे, उसके बाद आपकी सूचना आ जायेगी।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यादेश, 2001

श्री नारायण राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधानसभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राज्य सभा से प्राप्त "संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) विधेयक, 2001" के अनुसमर्थन हेतु प्राप्त विधेयक की प्रतियां तथा तत्सम्बन्धी साहित्य को

प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 182 के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधानसभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 मई, 2001 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का सातवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधानसभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 मई, 2001 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का आठवाँ अधिनियम बन गया।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधानसभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 मई, 2001 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का नवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001

सचिव, विधानसभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 मई, 2001 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का दसवाँ अधिनियम बन गया।

वर्तमान सरकार को शराब खनन, भू–माफिया का मंत्रिमण्डल बताये जाने के पूर्व मुख्यमंत्री के कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना तथा औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 और 311 की एक ही तरह की सूचनाएं हैं। इनको एक साथ ही ले लेते हैं। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी की 300 के अन्तर्गत सूचना है, पूर्व मुख्यमंत्री का

सरकार को बदलने में माफियाओं का हाथ होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में और 311 में डॉ0 इन्दिरा हृदयेश की सूचना है, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा वर्तमान सरकार को शराब, खनन एवं भू–माफिया का मंत्रिमण्डल बताये जाने के सम्बन्ध में और श्री अम्बरीष कुमार और श्री राम सिंह सैनी जी की सूचना है, उत्तरांचल की सरकार में भू–माफिया, शराब तथा खनन माफिया के हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इन सबको एक साथ ही ले लेते हैं, आप लोग ग्राह्यता पर बोल लीजिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, 300 में हमें यह संरक्षण मिलेगा, कि उसमें आपकी व्यवस्था मिलेगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न है, 300 में तो आपकी व्यवस्था आएगी और 311 में सरकार को उत्तर देना होगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मुन्ना सिंह चौहान जी आप बोलिए।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की। श्रीमन्, जैसा कि आपकी पीठ से समय–समय पर निर्देश जारी होते रहे हैं, इस सदन की कार्यवाही जो कि इस सदन के नियमों, परम्पराओं और सबसे ऊपर विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की जो व्यवस्था है, उसके मुताबिक संचालित होती है। .....

मान्यवर, सरकार के गठन की एक निर्धारित प्रक्रिया है। सरकार किस तरीके से बनेगी, सरकार कैसे पदारुढ़ होगी और सरकार में बैठने वाले मुख्यमंत्री या मंत्री किस तरीके से पदच्युत होंगे, यह व्यवस्थाएं संविधान में वर्णित हैं। एक गम्भीर प्रश्न आज इस सदन के सामने है। आज इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इस सदन के नेता सदन भी रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक बहुत गम्भीर आरोप, आरोप कहना उपयुक्त नहीं होगा। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा कि न केवल उनको पद से हटाने का काम माफियाओं द्वारा कराया गया, बल्कि माफियाओं के दबाव में नई सरकार बनाने का काम भी किया गया है। माफिया शब्द श्रीमन्, अपने आप में इसकी व्याख्या भी नियमों और कानून के दायरे में जैसा कि समय–समय पर इस सदन में हम कहते हैं कि हमारे देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, तो यहां पर कानून से अलग हटकर यदि कोई संगठन, कोई समूह, कोई संस्था हो, उसको गैर कानूनी तरीके से काम करने का अधिकार नहीं है और कानूनी संस्था या समूह जिसे हम माफिया कहते हैं यदि उसके हाथ, प्रभाव इतना हो जाये कि प्रदेश का मुख्यमंत्री तक माफियाओं के दबाव में बदल दिया जाये और माफियाओं के इशारे पर सरकार का गठन किया जाये तो इस नवसृजित उत्तरांचल राज्य के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, आप सम्भवतः मुझे टोकते जरूर, यह बात कहते हुए, यदि यह बात मैंने किसी ऐसे सदस्य के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में कही होती जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो तो निश्चित रूप से सदन की परम्पराओं के अनुरूप आप मुझसे यह अपेक्षा करते। इस विषय के लिए नहीं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नित्यानन्द स्वामी जी के बकौल उनके संदर्भ से इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि वे सदन में अपनी सफाई देने नहीं आ सके क्योंकि वें इस सदन के सदस्य हैं इसलिए जो बात इस सदन के अन्दर हम कह रहे हैं उसको गम्भीरता से हम जानते हैं कि इस सदन का सदस्य, जो हो वह अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए सदन के अंदर उनको अधिकार है। इसलिए यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक हो गया है, इस सदन की कार्यवाही के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, इस प्रदेश की सरकार के लिए। श्रीमन्, यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी तक इस सदन के अंदर चर्चा हो रही थी। पार्लियामेन्ट्री जो टीका टिप्पणी हम लोग करते हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने भी कहा कि आज स्थिति यह हो गई है कि माफिया का सरकारीकरण हो गया, यह टीका टिप्पणी मात्र थी। अब मैं जिस गम्भीरता की परिधि में उसको रेखांकित कर रहा हूँ, उसकी तरफ आपका ध्यान चाहता हूँ और सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूँ। जिसको आरोपित किया गया है कि माफिया के प्रभाव से उसको पदारुढ़ किया गया और पूर्ववर्ती सरकार को बदला गया। उसके अंदर कहा गया श्रीमन् कि जो प्रदेश के अंदर शराब माफिया, रेत–बजरी माफिया, खनन माफिया हैं, वे इस कदर हावी हो गये थे कि उनके दबाव में आकर के नेता सदन को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। इतना ही नहीं श्रीमन्, इसके अंदर यह भी कहा गया है कि सदन के कोई तीन माननीय सदस्य, मैं नाम नहीं लूँगा, वह परम्परा में नहीं है और हम लोगों का आशय कदाचित इस सदन के किसी माननीय सदस्य के सम्मान पर किसी तरीके से कोई आक्षेप लगाना कदाचित नहीं है। .....

मान्यवर, हम लोगों का आशय कदाचित इस सदन के किसी माननीय सदस्य के सम्मान पर किसी तरह का कोई आक्षेप लगाने का नहीं है। जिन कारणों को मैंने उपरोक्त रेखांकित किया। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, कि हमें कहा गया था कि अमुख लोगों को आप सरकार से दूर रखेंगे, यह दूसरी गम्भीर बात है। तीसरी बात श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि अब जब मामला यहां पहुँच गया है तो मैं यह कहूँगा कि उसमें तनिक भी निश्चित रूप से अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। हम और आप सभी संसदीय जनतंत्र के अंग हैं। हम मानते हैं कि सूचनाओं के अभाव में हमें तमाम तरह की बातें, हमें आम नागरिक कहता है, बहुत सारी चीजों में कोई तथ्य नहीं होते, उसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है। श्रीमन्, आप सहमत होंगे, मा0 मुख्यमंत्री जी सहमत होंगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो सरकार का मुखिया रह चुका हो, वह कहे, इन कारणों से मुझे हटाया गया, उसको न मानना, उस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। यह बिल्कुल निराधार बात है। लिहाजा आज इस प्रदेश की जनता बहुत उद्वेलित है, बहुत आहत है कि क्या इस प्रदेश का निर्माण इसी वजह से हुआ था। निर्माण के साथ इस प्रदेश के अन्दर माफिया का बोलबाला इतना हो जाय कि उनका सरकार बनाने, सरकार में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, यह निर्णय भी माफिया के इशारे पर होगा? श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूँगा कि जब यह प्रश्न इस स्वरूप में आ ही गया। मा0 मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार में तनिक भी नैतिक साहस है तो हम कहते हैं, निश्चित रूप से मा0 मुख्यमंत्री जी को सरकार

के त्याग–पत्र का ऐलान सदन के अन्दर कर देना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का क्या नैतिक आधार है जिसका आज से चन्द दिन पूर्व जो उसका मुखिया था, वह कहे कि मैं विधि सम्मत कार्य कर रहा था, मुझे उस काम को करने से रोका गया और गैर कानूनी संगठनों ने मुझे मजबूर कर दिया और सत्ताधारी दल को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि उनको पद से हटा दिया गया। इससे ज्यादा गम्भीर कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने धृष्टता की कि आपके बार–बार अनुरोध के बावजूद भी बहुत स्वस्थ संसदीय परम्परा नहीं है, यह रोजमर्रा का काम नहीं है, जिस गम्भीर प्रश्न से आज इस प्रदेश की जनता रूबरू हुई है, उसके लिए हमारी मजबूरी थी कि हमें आपके बीच विनम्रतापूर्वक उस वेल में जा करके, आग्रह करना पड़ा और सदन का कार्य स्थगित हुआ और फिर से हम लोगों को यह प्रश्न उठाना पड़ रहा है। श्रीमन्, यह एक ऐसा विषय है, जिसमें पक्ष–विपक्ष हो। हम इधर बैठने वाले सदस्य या उधर बैठने वाले सदस्य या सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 मंत्रीगण हैं, हम अन्ततः इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रदेश की जनता जो अपेक्षा कर रही है, हम सबका दायित्व है कि उसका उत्तर उसे मिले। इतनी पारदर्शिता इस नवसृजित राज्य की व्यवस्था में होनी चाहिए।

मान्यवर, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस सदन के अन्दर पूरी चर्चा हो, जिसमें कि सभी माननीय सदस्य भाग लें। मान्यवर, मैं यह कहूँगा कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, वह प्रदेश के अन्दर कोलैप्स हो गई है और जब संवैधानिक व्यवस्था कोलैप्स हो जाये तो उस दशा में क्या कार्यवाही होनी चाहिए, यह आप हमसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम आपसे संरक्षण की भी उम्मीद करते हैं और इस पूरे प्रदेश की जनता इस सदन की तरफ देख रही है कि इस पर सरकार में चर्चा करा करके सरकार में जवाबदेही तय कराई जाये और दोषी लोगों के खिलाफ दण्ड का प्राविधान किया जाये और ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब हटा करके जनता के सामने लाया जाना चाहिए। धन्यवाद।

*श्रीमती "डॉ0" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सदन में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना देने की बाध्यता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक वर्ष इस सरकार के गठन को मात्र हुआ और इस उत्तराखण्ड के राज्य की जनता, यह जानकारी प्राप्त कर आन्दोलित है कि इस प्रदेश के संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता, सर्वोच्च सदन में लम्बे समय से विधान परिषद् के सभापति पद को सुशोभित करने वाले, चार दशक तक राजनैतिक परम्पराओं में जीने वाले, चार दशक तक पूरे उत्तराखण्ड से सभी का आशीर्वाद स्वीकार करने वाले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, श्री नित्यानन्द स्वामी जी को यदि यह पीड़ा व्यक्त करनी पड़े कि मुझे इसलिए हटाया गया, क्योंकि मैंने ऐसे विधायकों को शपथ दिलाने से इन्कार कर दिया, जो शराब, खनन, भू–माफियाओं के रूप में आरोपित हैं। यह लोग मेरे शपथ लेने के दिन से मेरे विरुद्ध षडयंत्र रच रहे हैं और तभी से मेरे विरोधी हो गये। इन्हीं लोगों ने मुझसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट माँगा। मान्यवर, जब स्वामी जी ने त्याग–पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि 70 वर्ष की मेरी सेवा के बाद मुझसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट माँगा जा रहा है। एक अन्तर पीड़ा से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्याकुल होकर उन्होंने यह बात कही। मान्यवर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो चार दशक से असेम्बली के मेम्बर रहे, जनसंघ से, और जो विधान परिषद् से 3 बार ग्रेजुएट सीट से जीते हों, वह व्यक्ति जो संसदीय परम्पराओं को जानता हो। मान्यवर, आपको और हमको वहाँ कुछ ही समय हुआ लेकिन उतने ही समय में आपने ज्ञान अर्जित किया। .....

मान्यवर, हम प्रथम विधानसभा के सदस्य हैं, हम इतिहास रच रहे हैं। माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् में इस सर्वोच्च पद पर बैठकर सदन के अन्दर सत्ता पक्ष और विपक्ष का ध्यान न रखते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए। वही व्यक्ति आज यह कह रहा है कि मेरी ही पार्टी के लोग 70 साल बाद मुझसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने शराब–माफिया, भू–माफिया और वन–माफिया को रोकने की शपथ खायी है और प्रत्येक 4 दिन के अन्दर मुख्यमंत्री को बदलने की खबर अखबारों में छप रही है। 11 माह के अन्दर 11 सौ बार मुख्यमंत्री बदलने की खबर छपी। चुनाव नजदीक होने के कारण भू–माफियाओं से मोटी रकम की मांग की गयी, क्योंकि यह मेरे वश में नहीं था, इसलिए मुझे हटा दिया गया। मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि उनकी छवि स्वच्छ और ईमानदार जन सेवक की रही है। ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री को हटाकर भ्रष्ट मंत्रिमण्डल का गठन कर दिया गया है।

वित्त मंत्री (डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, यह जो 'भ्रष्ट मंत्रिमण्डल का गठन' शब्द है, इस पर हमें घोर आपत्ति है। इसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया है और फिर, भ्रष्ट कोई असंसदीय शब्द नहीं है। अगर विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य यह कह दें कि भ्रष्ट असंसदीय शब्द है तो मैं इसे वापस लेने को तैयार हूँ।

वैसे भी, यह बयान मेरा नहीं है, यह तो पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है।

श्री अध्यक्ष–

यह बयान सदन के अन्दर तो दिया नहीं।

माननीय इन्दिरा जी, चूँकि हम इस सदन के अन्दर कही बात का ही संज्ञान ले सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भ्रष्ट शब्द असंसदीय नहीं है, भ्रष्टाचार शब्द असंसदीय नहीं है। जब शराब, खनन आयेगा तो भ्रष्ट शब्द उसके साथ स्वयं ही जुड़ा हुआ है। तो मेरा तात्पर्य उसी से था। (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहती हूँ। क्या सभी माननीय मंत्रियों को बीच में बोलने का अधिकार है। मैं पीठ का आदर करते हुए आगे चल रही हूँ। चूँकि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में और सदन के बाहर इन बातों को कहा। हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। जनता ने इस राज्य का गठन उन शर्तों को पूरा करने के लिए किया है जो बड़े राज्य में पूरी नहीं हो पा रही थीं और अगर इस छोटे राज्य में जनता को

यह अहसास हो कि 11 माह तक यहां शासन में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पीड़ा का इजहार, आधा सदन में और आधा सदन के बाहर कर रहे हों तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है। इस पर हमें विचार करना ही होगा, और यदि इस चूक के बारे में हमने गम्भीर चिन्तन नहीं किया और हमारे मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं चूँकि उनके नेतृत्व में इस मंत्रिमण्डल का गठन हुआ और हमें उम्मीद थी, जितना हम उन्हें जानते हैं वे उसी जनपद के रहने वाले है, जहाँ मेरा पैतृक घर है। और उस घर के रहने वाले मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिमण्डल के बारे में यह कहा जाये तो एक प्रश्न उठता है। क्या इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर यह दबाव था कि वे बड़ा मंत्रिमण्डल बनाएं और क्या उन मुख्यमंत्री पर यह दबाव था कि उन्हें लेने के लिए बाध्य हों जिनको लेने के लिए माननीय नित्यानन्द स्वामी जी को कठिनाई थी। हम यह अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से नहीं करते थे। जहां उनकी टूटी खाट अखबार में दिखाई जाती है, माँ और चाची दिखाई जाती हैं। वहीं अगर मैं सदन के अंदर माननीय नित्यानन्द स्वामी जी की संसदीय परम्पराओं की बात कह सकती हूँ, लेकिन उनके नेतृत्व में यह गठन हुआ। इसलिए वह क्षेत्र जहां वे जन्में हैं, वह तो पीड़ित हैं ही, साथ ही सारा राज्य पीड़ित है कि माननीय भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में ऐसा कार्य हुआ, जिससे जनता स्तब्ध है, आक्रोशित है, पीड़ित है।

इसलिए मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। मुझे नहीं पता यह किन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन अब इस प्रदेश की जनता जो 2 माह बाद चुनाव में जा रही है, उसको यह अपेक्षा थी कि उसे रोजगार मिलेगा, उसे अपेक्षा थी कि पांचवें वेतन आयोग में उसे लाठी न मिले, वेतन मिले। जिला योजना मंजूर हुई नहीं। हमारे वित्त मंत्री जी नाराज हो जाते है। वे सत्ता में हैं, ताकत में हैं और ताकत का जुनून ऐसे जोर से बोलता है, वह उतरने के बाद उसको पता चलता है। ये लोग सत्ता की भाषा बोल रहे हैं और सत्ता की भाषा गुरूर की भाषा होती है, पर इस प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। मैं इस्तीफे की बात नहीं कर रही हूँ। माननीय नित्यानन्द स्वामी जी आ गये हैं, वे स्वयं अपनी बात कहेंगे। वे आये, हमें अच्छा लगा। शायद उन्हें भय था कि कहीं कोई ऐसा संवैधानिक संकट न पैदा हो जाये।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जिस संदर्भ में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी और हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी ने अपने विचार रखे, वह बहुत गम्भीर प्रकरण, इस प्रदेश के सामने, लोकतंत्र के सामने, उपस्थित है। अपर हाउस की बात हो रही थी, उसमें बहुत लोग बैठते हैं। मैं स्मरण कराना चाहता हूँ, इस आधुनिक लोकतंत्र के पुरोधा अब्राहिम लिंकन साहब ने अपनी गेटअस वर्क स्पीच में डेमोक्रेसी की व्याख्या करते हुए कही थी–"गवर्नमेंट ऑफ द पिपुल, गवर्नमेंट फार द पिपुल एण्ड गवर्नमेंट बाइ द पिपुल"। लेकिन जिस संदर्भ में आज विचार होता है कि सिस्टम को बदलने का काम हो रहा है। यह देख कर बहुत कष्ट होता है कि जिस उत्तरांचल से पूरा देश यह आशा करता था कि लोकतंत्र में यह प्रदेश नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेगा और जिस सामंजस्य के साथ लोकतांत्रिक और संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करते हुए यह उम्मीद बंधी थी कि हम सम्भवतः हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर जरूर साबित होंगे। मान्यवर, जो प्रकरण आज सामने आया उसने यह सोचने को विवश कर दिया कि अब्राहिम लिंकन की उस

डिकटम–द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाई द पीपुल, ऐसा तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ माफियाज एण्ड गवर्नमेंट बाई द माफियाज। यह ज्वलन्त प्रश्न केवल इस सदन के सामने नहीं है अपितु पूरे उत्तरांचल के सामने हुआ। इससे एक यह भी प्रश्न पैदा हुआ कि बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में अन्तर क्या होता है। उत्तर प्रदेश में 425 सदस्यों का सदन है। कितने भी बड़े माफिया उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हों लेकिन यह सम्भव नहीं है कि इतने सदस्यों को प्रभावित कर, सरकार को तोड़ने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हों। मान्यवर, जैसा कि माननीय स्वामी जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि माफियाओं के प्रभाव में मुझको हटाया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह बात तो सदन के अन्दर कही नहीं गई है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि सदन केवल सदन की ही बातों का संज्ञान नहीं लेता। अगर हमारी कोई अवमानना कर दे, मेरे कार्य में कोई अवरोध कर दे तो मैं विशेषाधिकार के रूप में इसी सदन में प्रस्तुत करता हूँ। तो अगर आप इस आधार पर व्यवस्था दे देंगे कि यह कार्य सदन के बाहर हुआ है और कर्तव्य निर्वहन में सदन के बाहर रोक लगायी गई है, सदन में नहीं उठाया जा सकता है, सदन में जितनी बातें कही गई, केवल उन्हीं बातों पर विचार किया जाय, तो जन समस्याओं की बात तो हम कर ही नहीं पायेंगे। कहीं आन्दोलन होगा, कहीं धरना होगा, प्रदर्शन होगा और लोगों की समस्यायें होंगी। अगर हम उन बातों की चर्चा नहीं करते तो सदन की सार्थकता क्या होगी। अगर हम सदन की ही बातों पर चर्चा करेंगे ऐसा न तो नियमावली में है, न कहीं परम्परा में है। एक बात सही है जो हमारे मा0 मंत्री जी उठा रहे थे, अखबार का तो न हम संज्ञान ले रहे हैं, न अखबार के बारे में कोई बात कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें मेरी व्यक्तिगत जानकारी में हैं, जो लोगों से मुझको मिली हैं, स्वामी जी के कथन के बारे में, अगर उनका उल्लेख करता हूँ तो इस सम्बन्ध में आपसे व्यवस्था चाहता हूँ। यह न लोकतांत्रिक है, न मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कि स्वामी जी ने किस से क्या कहा, किस से चर्चा हुई ......

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, यहाँ जितनी बातें हो रही हैं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो मुझको उत्तर देना है मैं उसका उत्तर भी दूँगा। पर मान्यवर, इतना कृपापूर्वक कर दें कि जो मुझे उत्तर देना है वह मैटर मुझे मालूम हो जाये, मैं उसे देख लूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह गम्भीर स्थिति है और इससे छोटे राज्य को प्रभावित करना आसान होता है। श्री स्वामी जी ने शुरू से यह बात कही कि माफियाओं को इस राज्य से हटाना मेरी पहली प्राथमिकता है, चाहे वह खनन–माफिया हो, शराब–माफिया हो, भू–माफिया हो। मान्यवर, इसीलिए इन्होंने यह प्रयास भी किया कि ऐसी नीतियाँ बने कि अभी तक जो

सिंडीकेट बने हुये थे तो उनको शराब का ठेका न मिले, भले ही राजस्व की हानि हुई, पर यह प्रयास किया। मान्यवर, यह पॉलिसी 2 दिन में नहीं बनी, स्वामी जी ने बनाई, तो यह स्वाभाविक था कि उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती और अन्त में जो लम्बे हाथ थे, उन्होंने इसका प्रभाव दिखा भी दिया। मान्यवर, सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनता है, यह छोटा सवाल है, पर बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो प्रभाव प्रयोग हो रहे हैं, वह लोकतंत्र की बुनियाद के लिए चिन्ता का विषय है। मान्यवर, दूसरा गम्भीर प्रश्न यह है कि जब हम उत्तरांचल के विकास की बात करते हैं तो इसमें हर उत्तरांचल का नागरिक समान है, मैदान का हो या पहाड़ का हो, इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मगर मान्यवर, स्वामी जी ने अपना त्याग–पत्र की घोषणा सदन में की, तो स्वामी जी ने पूरे उत्तरांचल को एक मैसेज देने की कोशिश की कि मुझसे भी उत्तरांचल में डोमोसाइल सार्टिफिकेट मांगा गया इसका मतलब क्या है। मान्यवर, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहा गया कि यह पर्वतीय क्षेत्र के नहीं हैं तो इन्होंने बहुत कहा कि कोई जोशी तो महाराष्ट्र से आये हैं, कोई राजस्थान से आये हैं तो कोई कहीं से आये हैं। तो मान्यवर, इन दोनों चीजों को जोड़ने का आशय मेरा यह है कि अगर लोकतंत्र में माफिया की भूमिका बढ़ी और वह इतना सशक्त हो कि वह मुख्यमंत्री को हटवा सके या बनवा सके, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह दोनों चीजें लोकतंत्र पर कुठाराघात करने वाली हैं और इसके लिए आपकी सत्ता पार्टी दोषी है।

श्री अध्यक्ष–

आपका भाषण जारी रहेगा। अब हम लेते हैं मद संख्या 22।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतिकरण

वित्त, संस्थागत वित्त मंत्री (डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूँ।

वर्तमान सरकार को शराब, खनन, भूमाफिया का मंत्रिमंडल बताये जाने के पूर्व मुख्यमंत्री के कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना तथा औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जो मत–विभिन्नता है, उसका फायदा उठाया जाएगा, उसको आग दिखाकर हम सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, माफियाओं के बल पर सरकारों को बदलना और गिराना शुरू हो गया तो, न तो लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा और न ही उत्तरांचल का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सैनी जी, अब आप अपनी बात रखें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, इस विषय पर सबको अवसर देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

सूचना में दो लोगों का नाम है। इसलिए दोनों को बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यह नियमों के विरुद्ध है, मुझे कल तक का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

सैनी जी सूचना की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, निर्णय तो पीठ से होना है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, इस सूचना को लिया जाना चाहिए या नहीं, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतने गंभीर विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज जहाँ हम पारदर्शिता की बात करते हैं, जीवन में साफ–सुथरी छवि की बात करते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की साफ छवि पर किसी को संदेह नहीं हो सकता। माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने सदन में जब अपने इस्तीफे की घोषणा की तो उनके मन में जो टीस, जो पीड़ा थी, वह स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने बार–बार यह कहा था कि मेरे उत्तरांचल का मूल निवासी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यह सब सदन की कार्यवाही में अंकित है। उन्होंने बयान जारी किया कि 200 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, 70 वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहीं पढ़ा, यहीं राजनीति की, चुनाव यहीं से जीता। माननीय नित्यानन्द स्वामी, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के भी सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्त में न्याय की जीत होगी। इसका मतलब यह हुआ कि उनके साथ अन्याय किया गया। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि तीन माननीय सदस्यों को मंत्रिमण्डल में लेने के लिए हाई कमान ने उन्हें मना किया था, परन्तु अब वे मंत्रिमण्डल में शामिल हो गये हैं। स्वामी जी ने यह भी कहा कि मैंने भू–माफियाओं के दबाव में इस्तीफा दिया। माननीय स्वामी जी जब अपना बयान देंगे तो स्पष्ट करेंगे कि उनके ऊपर क्या दबाव था? ......

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से भू–माफिया, शराब–माफिया आदि के हौंसले बुलन्द होंगे। सरकार के गठन में इनकी शह होगी तो प्रजातंत्र का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी पावर की बात हो रही थी, आज मंत्रिमण्डल के बहुत से सदस्य यह समझते हैं, हम तो पावर में हैं। वे पावर के मद में हैं। जिस प्रकार की पीड़ा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की है। हमारे सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। अगर व्यक्तिगत जीवन हमारा भ्रष्ट है तो चल नहीं पायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज सारी जनता में असंतोष व्याप्त है। जनता कहती है कि भू–माफिया, शराब–माफिया के द्वारा सरकार चल रही है। जब एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार के माफियाओं के दबाव में त्याग–पत्र देना पड़े

तो इससे गम्भीर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। यह अविलम्बनीय है। मैं प्रार्थना करूँगा कि नियमों को शिथिल करते हुए सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये।

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, वैसे तो माननीय नित्यानन्द स्वामी जी सदन में आ चुके हैं। माननीया इन्दिरा जी द्वारा मेरे नाम को दो बार इंगित किया गया है। यह न तो नियम 300 में आता है और न ही नियम 311 में। इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात क्योंकि बार–बार यह कहा गया कि सत्ता की आवाज तेजी से आती है। श्रीमन्, ईमानदारी और निष्ठा में भी तेज आवाज आती है। व्यक्तिगत आक्षेप लगाना उचित नहीं है। छोटा हमारा सदन है और इसमें इस तरीके की बात शायद ठीक नहीं है। जिला प्लान की बात पुनः उठाई गयी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 50 प्रतिशत से ज्यादा राशि दी जा चुकी है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जिला प्लान स्वीकृत करने में माफियाओं की सलाह थी क्या?

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, माफियाओं के खिलाफ यह सरकार हमेशा रही है। चाहे माननीय नित्यानन्द स्वामी जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का नेतृत्व हो, यह सरकार माफियाओं के खिलाफ है। जो अभियान माननीय स्वामी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, वह जारी रहेगा।

मान्यवर, मेरा आशय यह है कि 311 में भी इसका कोई औचित्य नहीं है और 300 में तो दूर–दूर तक भी इस सूचना का कोई मतलब नहीं है। जब किसी सदस्य के बारे में बार–बार कहा जा रहा हो कि सदन में भाषण में आया है। आदरणीय स्वामी जी का यहाँ पूरा भाषण उपस्थित है। इसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। तमाम बातों को जिस अनर्गल तरीके से यहाँ पर कहने की कोशिश की गई। मैं सदस्य के नाते यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यह कहा गया कि मा0 कोश्यारी जी के नेतृत्व में भ्रष्ट मंत्रिमण्डल का गठन किया गया है, उसको कार्यवाही से निश्चित रूप से निकाल लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, अगर कहीं आग हो और उसके बाद धुँआ दिखाई दे तो समझ में आती है, कुछ तो है। जहाँ आग भी नहीं, धुँआ भी नहीं, हमारे सब लोग ऐसे ही कहें। जिस विषय पर इस सदन के महत्वपूर्ण समय को रोक कर अन्य विषयों पर चर्चा करने की बात की जा रही है। मैंने माननीय सदस्यों को सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब का लक्ष्य एक है। चूँकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मा0 स्वामी जी ने इसी सदन में कहा है कि मैंने स्वेच्छा से त्याग–पत्र दिया है। उन्होंने अपने बयान में बार–बार कहा है कि मैं आखिरी क्षण तक अपने दल का सिपाही रहा हूँ। आपने बार–बार यही कहने की कोशिश की कि आपकी सरकार माफियाओं की सरकार है और भ्रष्ट लोगों की सरकार है और यह भी कहा कि आपके मंत्री भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है। सदन में कहेंगे, अखबार का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। आज हमारे बुद्धिमान साथियों ने नई

चीज जोड़ दी। मेरा आपसे निवेदन है ऐसी कही–सुनी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। आपने यह भी कहा कि स्वामी जी ने कहा कि आपके तीन सदस्य इसलिए नहीं लिये गये कि वह महाभ्रष्ट थे। इतना सीनियर व्यक्ति यह कह ही नहीं सकता। .....

मान्यवर, उनसे सीनियर व्यक्ति यह नहीं कह सकते हैं, यह उनका काम है, वह सदन में आयेंगे, वह खुद कहेंगे। लेकिन मैं इस विषय को जानता हूँ कि संसदीय परम्पराओं के हिसाब से यह पार्टी का नेतृत्व तय करता है, मैं सोचता हूँ कि संसदीय परम्पराओं का पूरा पालन हुआ है और उस हिसाब से सरकार बनी है। मैं सोचता हूँ कि उत्तरांचल या देश की जनता ऐसी नहीं है कि जो समझे कि माफियाओं के द्वारा उनको हटाया गया और माफियाओं के कारण भगत सिंह कोश्यारी को बैठा दिया गया है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह खुद कहते तो मैं यह मानता कि यह सही है, पर यह तो दूसरों के कन्धों पर चढ़कर बोल रहे हैं, यह दयनीय विषय है।

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रजातंत्र के तरीके से ऐसी कोई बात नहीं आई है, प्रजातंत्र के तरीके से सरकार चुनी गई है। प्रजातंत्र के तरीके में स्वामी जी ने अपना इस्तीफा दिया है, उसमें नई सरकार बनी है। मैं सोचता हूँ कि न तो यह संवैधानिक है और न इसका कोई औचित्य बनता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके इस पर कोई चर्चा न की जाये।

श्रीमती "डॉ0" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने किसी के कन्धे पर खड़े होकर कुछ नहीं कहा। स्वामी जी ने लगातार कहा कि शराब–माफिया, भू–माफिया मेरे समय में नहीं पनपेंगे और उन्होंने कानून बनाया। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नियमों की दुहाई दी जा रही थी। इन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान 311 की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं 311 पढ़ देता हूँ, इसमें लिखा है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाये", हमने आपसे आग्रह किया कि आप इन नियमों को शिथिल करके सुन लें। आपने ग्राह्यता पर सुनने की हमें अनुमति दी तो श्रीमन्, हमने इस प्रक्रिया में कार्य संचालन नियमावली के नियमों का पालन किया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपने भ्रष्ट सरकार की बात कही और भ्रष्ट मंत्री की बात कही, फिर यह भी कहा कि हमने आपसे नहीं कहा, दूसरे को कोड किया है। आपने अपने प्रश्न में यही कहा कि इसने कहा, उसने कहा। किसी की सुनी बात का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अगर इसमें कोई फैक्ट हो, तो अलग बात है। केवल बोलने के लिए कह दें तो इस तरह यह ग्राह्य थोड़ी हो जाएगा?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इस तरह ग्राह्य नहीं होगा। मान्यवर, यह तो आपका विशेषाधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय में माननीय स्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यदि आप आदेश दें तो मैं कल अपना स्पष्टीकरण दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के तहत श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, श्री अम्बरीष कुमार तथा श्री राम सिंह सैनी जी ग्राह्यता पर बोले तथा माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी। इस विषय पर मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। चूँकि यह विषय 311 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूँ।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल माननीय स्वामी जी इस विषय पर अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था कल तक रिजर्व कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

स्पष्ट हो गया कि यह माफियाओं की सरकार है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

थाना रेंज देहरादून में साल के ढुलान में हुए घोटाले की जांच

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उत्तरांचल वन विकास निगम के द्वारा थाना रेंज देहरादून में लगभग 10 लॉटों में साल के लॉग्ज ढुलान में किये गये घोटाले के बारे में जांच करायी गयी थी। जांच संतोषजनक न होने के कारण प्रकरण चार माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जांच मुख्य सचिव को सौंपी थी, किन्तु चार माह

बीत जाने पर भी जाँच नहीं हो पायी है। जाँच के बिन्दु हैं कि साल लॉग्ज का ढुलान श्रमिकों के द्वारा न होकर ट्रक, ट्रेक्टर, ट्राली द्वारा किया गया। श्रमिकों एवं ठेकेदारों को पूरा भुगतान नहीं किया गया। फर्जी झौपड़ियों का भुगतान किया गया जबकि श्रमिकों के लिए झौपड़ियाँ नहीं बनायी गयी हैं। फर्जी पानी का भुगतान किया गया जबकि श्रमिक स्वयं अपने लिए पानी लाये हैं। जंगल में कुक नहीं रखे गये हैं। फिर भी कुकों का भुगतान फर्जी किया गया। लॉग्ज का ढुलान जंगलों से सीधा सेल डिपो में किया गया। जबकि ढुलान जंगलों से सड़क तक किया जाना चाहिए था, श्रमिकों से ढुलान न करवा कर ट्रक, ट्रेक्टर ट्राली से किया गया। यह कार्य अवैध रूप में किया गया। अस्तु मामले की जांच की जाए एवं दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करायी जाए।

सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यधिक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आकृष्ट कर शासन से इसके निराकरण की माँग करता हूँ। प्रदेश में हजारों प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त अध्यापकों की पेंशन का भुगतान शासन द्वारा मई, 2001 से नहीं किया गया है। इसी प्रकार से अरबी मदरसा (सहायता प्राप्त) अध्यापकों के वेतन का भुगतान जनवरी, 2001 से नहीं किया गया हैं, इससे इन शिक्षकों के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है तथा यह और इनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। भुगतान न होने के कारण उनमें भारी असंतोष, रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या के निराकरण हेतु शिक्षकों के लम्बित भुगतान की शासन से माँग करता हूँ।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001

समाज कल्याण मंत्री (श्री नारायण रामदास)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001" की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण रामदास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001

पर्यटन मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

वित्त मंत्री (डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से " उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल राज्य में स्थापित मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों के लिए चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में दिनो–दिन प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए रोगियों की जीवन रक्षा के लिए मानव अंगों के प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प

चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "चूँकि, उत्तरांचल राज्य में

स्थापित मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में दिनों–दिन हो रही प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए एवं रोगियों की जीवन रक्षा के लिए अत्यन्त विषम परिस्थितियों में मानव अंगों जैसे कॉर्निया, गुर्दा इत्यादि का प्रत्यारोपण, आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में कुछ अन्य राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किये जाने पर कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, संसद द्वारा दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऐक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994), दिनांक 8 जुलाई, 1994 को अधिनियमित किया जा चुका है और चूँकि संसद द्वारा अधिनियमित दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऐक्ट, 1994 (अधिनियम संख्या 42, सन् 1994), दिनांक 8 जुलाई, 1994 को संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में प्रवृत्त किया गया था और अन्य राज्यों में प्रवृत्त किये जाने हेतु उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार उक्त अधिनियम को अंगीकृत किये जाने के दिनाँक से प्रवृत्त होने का उपबंध किया गया है;

और, चूँकि, दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया है;

और, चूँकि, इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऐक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994) को उपरोक्त कारणों से उत्तरांचल राज्य में अंगीकृत किया जाय;

अतएव, अब, यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऐक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल राज्य में स्थापित मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में दिनों–दिन हो रही प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए एवं रोगियों की जीवन रक्षा के लिए अत्यन्त विषम परिस्थितियों में मानव अंगों जैसे कॉर्निया, गुर्दा इत्यादि का प्रत्यारोपण, आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में कुछ अन्य राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किये जाने पर कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, संसद द्वारा दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऐक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994), दिनांक 8 जुलाई, 1994 को अधिनियमित किया जा चुका है और चूँकि संसद द्वारा अधिनियमित दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऐक्ट, 1994 (अधिनियम संख्या 42, सन् 1994), दिनांक 8 जुलाई, 1994 को संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में प्रवृत्त किया गया था और अन्य राज्यों में प्रवृत्त किये जाने हेतु उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार उक्त अधिनियम को अंगीकृत किये जाने के दिनाँक से प्रवृत्त होने का उपबंध किया गया है;

और, चूँकि, दिनाँक 9 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया है;

और, चूँकि, इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऐक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994) को उपरोक्त कारणों से उत्तरांचल राज्य में अंगीकृत किया जाय;

अतएव, अब, यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ऐक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 20 नवम्बर, 2001 से 21 नवम्बर, 2001 तक की बैठक हेतु निम्नलिखित सिफारिश की है :–

<u>नवम्बर, 2001</u>

20, मंगलवार (1) अनुपूरक मांग का सदन में रखा जाना। (समय 1.00 बजे अपरान्ह)

(2) सरकारी संकल्प–मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को उत्तरांचल राज्य में अंगीकृत किये जाने विषयक संकल्प।

21, बुधवार (1) अनुपूरक मांग पर चर्चा एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।

(2) उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001 पर चर्चा (आधा घण्टा)

(3) संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) विधेयक, 2001 के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में संकल्प पर विचार।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जों प्रस्ताव रखा गया, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश के अन्दर जो भी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम संचालित होते हैं, उन सबके लिए कुछ मानदण्ड तय हैं। पूरे देश के अन्दर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए जिन लोगों को परिभाषित किया गया है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए एक सर्वेक्षण करायें और उस सर्वेक्षण के आधार पर परिवारों और व्यक्तियों को गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों की एक सूची तैयार करें। लेकिन मान्यवर, यह जो गरीबी की रेखा से नीचे वालों का सर्वेक्षण किया गया, उसके अन्दर इतनी खामियाँ हैं कि कहीं न कहीं ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि एक व्यक्ति किसी के साथ काम करता है तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर पहुँचा दिया है और जो मालिक है उसको गरीबी की रेखा से नीचे दर्शा दिया। जब हम सरकारी तंत्र से पूछते हैं इसका मानक क्या रहा तो उत्तर दिया जाता है कि कभी सर्वेक्षण हुआ था और यह देखा गया था कि उसके घर में टेलीविजन है, फलाँ के घर की छत पर लिंटर पड़ा हुआ है इसलिए यह गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर होगा। मान्यवर, यह इतना मजाक बनकर रह गया है कि आज वास्तव में जो गरीब लोग हैं वह दर–दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन सरकारी सेवाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर, इसके कारण क्या रहे, इसका मापदण्ड क्या रहा, इस बात का पता लगाया जाय तो यह सम्भव है कि इस त्रुटि को सुधार लेंगे। मान्यवर, जो पहले सर्वेक्षण हुआ था उसमें त्रुटि है। उसके लिए हमारे पास एक आधार भी है, चूँकि मान्यवर, हमारा नया प्रदेश बना है इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना होगी कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का फिर से सर्वेक्षण कराना चाहिए।

मान्यवर, इसके जो मानदण्ड निधारित हैं, उनके अनुसार यदि किसी ने गलती से 500 रुपये का पुराना टी0 वी0 खरीद लिया, तो उसके आधार पर यदि हमने यह मान लिया कि इसके पास तो आधुनिक लॅग्जरी का सामान है, तो यह गरीबों के साथ न्याय नहीं होगा। मैं सरकार से यह आग्रह करूँगा कि एक बार पुनः सावधानीपूर्वक व्यवहारिक मानदण्ड निर्धारित करें। प्रदेश सरकार की तरफ से तत्काल ग्राम पंचायत स्तर पर एक त्वरित एक्शन लिया जाए। मुझे अभी चन्द जिलों में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर अन्त्योदय खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सस्ता खाद्यान्न उन गरीब लोगों को उपलब्ध होना चाहिये था, क्योंकि बाजार भाव पर खाद्यान्न सामग्री खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन बी0पी0एल0 सर्वेक्षण आड़े आ गया इस विषय में मेरी जानकारी सीमित हो सकती है। यह पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है। अतः सारे कार्य रोककर इस पर चर्चा करा ली जाए, जिससे सभी लोगों के विचार इस पर आ सकें और प्रदेश सरकार तुरन्त कोई राहत इन गरीबों को दे सके, इस विषय में तत्काल कोई निर्णय लिया जाए। मान्यवर, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए धन्यवाद।

वित्त मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने काफी महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। यह सर्वेक्षण भारत सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मई–जून 1997 में कराया था। श्रीमन्, उसके कुछ मानक थे, उन मानकों के आधार पर ही यह सर्वेक्षण हुआ। वह मानक कहीं न कहीं थोड़े–बहुत त्रुटिपूर्ण साबित हुए, जैसे, अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा जिसकी छत हो, वह गरीबी की रेखा के नीचे नहीं आ सकता, जिसके कारण यह विषमता पैदा हुई। जब यह शिकायत उत्तर–प्रदेश सरकार के सामने आई कि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, तो 15 जुलाई, 1997 को सरकार ने एक शासनादेश के तहत पुनः सर्वेक्षण का आदेश दिया और साथ ही यह भी कहा कि जो शिकायतें आ रही हैं, उनका समाधान किया जाए, उसमें काफी कुछ परिवर्तन हुआ। उस हिसाब से बी0पी0एल0 के 3 लाख 76 हजार परिवार हमारे उत्तरांचल में आए हैं। यह सर्वेक्षण 9वीं पंचवर्षीय योजना का था, उसको 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक अप्रैल, 2002 को दसवीं पंचवर्षीय योजना की गणना शुरू होनी है। प्रदेश सरकार ने स्वयं ही भारत सरकार से व्यापक सर्वेक्षण की अनुमति मांगी है। अपने स्तर पर सर्वेक्षण करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। यदि भारत सरकार की ओर से हमें अनुमति मिल जाती है, तो इस पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ। अब हम उठते है, 3.00 बजे तक के लिए।

(सदन 1 बजकर 40 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपरान्ह 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

उत्तरांचल में अधूरी पड़ी विद्युत परियोजनाओं का कार्य टिहरी हाइड्रो–इलेक्ट्रिक कारपोरेशन के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मई, 2001 को पूछे अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 के विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

*श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न था 3 मई, 2001 का, इस पर मैंने चर्चा का अनुरोध किया था। इसे आपने स्वीकार किया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मान्यवर, ये टी0एच0डी0सी0 केन्द्र सरकार की है, निगम है जो टिहरी परियोजना को बना रही है, लेकिन जैसा हम सभी लोगों के संज्ञान में है इसका प्रथम चरण बहुत शीघ्र पूरा होने वाला है और जो वहाँ कार्यरत हमारे कर्मचारी हैं वे उत्तरांचल की परिस्थितियों और टिहरी हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अनुभवी हैं और वहाँ उनका काम समाप्त होने वाला है और साथ ही साथ हमारे जो अन्य जल विद्युत के प्रोजेक्ट हैं जैसे मनेरी भाली, लखवाड व्यासी आदि को प्राईवेट कम्पनी को दे दिया गया है। यह प्रयास रहा कि निजी स्रोत से धन आए। निजी क्षेत्र से कार्य कराने में हम यह कन्डीशन नहीं लगा सकते कि टी0एच0डी0सी0 से ही कार्य कराया जाये। एक साल के बाद हम इस स्थिति में हैं कि हमारे पास निजी क्षेत्र के बहुत से प्रस्ताव भी नहीं हैं। वित्तमंत्री जी ने घोषणा की कि अब राज्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश करेगी या केन्द्र से भी सहायता ले सकती है। यह अनुरोध है कि जब हम इन परियोजनाओं को पूरा करेंगे तो काम की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से टी0 एच0 डी0 सी0 एक ऐसी संस्था है, जो विश्वसनीय है। यदि हम इसे काम नहीं देगें तो टिहरी परियोजनाओं का काम समाप्त होने के बाद संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार इस पर विचार कर ले और जो हमारी अधूरी विद्युत परियोजनाएं हैं, उनको पूरा कराने का काम टी0एच0डी0सी0 से ही कराएं। इससे अच्छी संस्था हमारे पास नहीं है। इस पर सरकार विचार कर ले इस नाते मैंने इस चर्चा को कराने का अनुरोध आपसे किया था। मुझे मान्यवर, इस विषय पर इतना ही कहना है।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि दूसरा विषय भी इससे मिलता–जुलता है। मा0 मुन्ना सिंह जी भी अपनी बात रख दें तो मैं दोनों का उत्तर दे दूँ।

श्री अध्यक्ष–

दोनों एक ही विषय हैं, आप बोल लीजिए तो उसके बाद वक्तव्य एक साथ हो जायेगा।

उत्तरांचल को सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी अधिकार देने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2001 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अभी थोड़े मिलते–जुलते विषय पर मा0 अम्बरीष कुमार जी ने अपना सुझाव रखा। यह सौभाग्य समझिये कि इस प्रदेश की तरक्की का मेरूदण्ड कहा जाय, कोई आधारभूत सेक्टर कहा जाय, जिसके आधार पर यह कल्पना कर सकें कि इस प्रदेश को हम आर्थिक तरक्की की दृष्टि से एक रोल मॉडल बना सकते हैं, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। जल संसाधन और जल विद्युत परियोजनाओं का एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ताकत के बल पर, जिसका प्रॉपर विकास करके इस प्रदेश को हम एक आदर्श प्रदेश बना सकते हैं। जहाँ मुझ जैसे व्यक्ति की व्यक्तिगत रूचि है और इस सदन के अन्दर सर्वाधिक गम्भीर चर्चायें और सर्वाधिक प्रश्न हमारे द्वारा ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसको संगठित करने का सवाल हो, उसको नये आयाम देने का सवाल हो, यह सदैव चर्चा का विषय इस सदन के अन्दर रहा और एक सुखद अनुभव है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, जो आज नेता सदन हैं वे इस ऊर्जा सेक्टर के स्वयं प्रभारी भी हैं। वह इस विभाग का काम स्वयं देख रहे हैं। हमारी जिज्ञासा है कि हमारे जो प्रश्न होंगे, हमारी जो चिन्तायें होंगी, उनको आत्मसात करने में कोई कठिनाई भो नहीं होगी। कई बार मा0 मुख्यमंत्री जी जब आप ऊर्जा मंत्री के रूप में हमारे प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे तो आपने कई बार इस बात का अनुरोध भी किया कि इस क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी चिन्ता किसी भी रूप में कम नहीं हुई। मैं यह जानना चाहता हूँ अभी मा0 मुख्यमंत्री जी जब हमारी इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा का उत्तर भाषण करने को खड़े होंगे तो एक बात के साथ पटाक्षेप करना चाहेंगे कि जो हमारी जल विद्युत परियोजनाओं के बंटवारे के समय परिसम्पत्तियों पर अधिकार का सवाल था उसको लेकर के हमारी उ0प्र0 के साथ सेटलमेंट हो गया है। भारत सरकार ने जिसको कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 ने जज की भूमिका में उतार दिया यह उत्तर देंगे कि भारत सरकार ने उसको हमारे पक्ष में कर दिया। केवल इतने मात्र से संतुष्टि या इस चर्चा का मकसद पूरा नहीं होता है।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि परियोजनाओं से सम्बन्धित जो अधिकारों की हम बात करते हैं। यदि मैं सीधे तौर पर कहूँगा कि परियोजनाओं को बनाने के लिए कितना वित्तीय प्राविधान किया, क्या इंतेजामात किये तो श्रीमन् आप पीठ से निर्देशित करेंगे कि यह चर्चा का विषय नहीं है। माननीय अम्बरीष कुमार जी ने जिस प्रश्न के आधार पर नियम 49 में चर्चा की माँग की थी वह आपस में इन्टरलिंक है।

मान्यवर, यहाँ की जो जल–विद्युत परियोजनायें हैं उनमें स्वामित्व के अधिकार का सवाल है, जब तक वह स्पष्ट नहीं होता तब तक यह सरकार यह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगी कि मुख्य परियोजना किससे बनवायें, किससे न बनवायें और न सरकार इस स्थिति में आयेगी कि वह कह सके कि हम निजी क्षेत्र को एट्रेक्ट करने की बात करेंगे। यदि यहाँ पर हाइड्रो–इलेक्ट्रिक क्षेत्र में कोई परियोजना लगाने की बात करेंगे तो आपकी हैसियत नहीं होगी इस बात को कहने की कि आप उसके अन्दर क्या–क्या प्रावधान करेंगे, उसके अन्दर आपको यह भी तय नहीं होगा कि जो आपकी जमीन और जल का प्रयोग किसी प्रदेश की प्रादेशिक सीमाओं के अन्तर्गत करते हैं तो आपके प्रदेश को कितनी बिजली मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए यह बड़ा सवाल है। अभी भारत सरकार का बयान आया था उस बयान पर लोगों ने खुशी जाहिर की थी, थोड़ी बहुत खुशी हमने भी जाहिर की, पर जो कुछ उन्होंने कहा उसकी हकीकत क्या है। केवल इतना कह देना मात्र पर्याप्त नहीं है कि उत्तरांचल में जो जल–विद्युत परियोजनायें होंगी वह उत्तरांचल के अधिकार क्षेत्र में होंगी और जो सरप्लस बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश को देंगे, इतने मात्र से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि यदि हमारी सरप्लस बिजली भी हो तो उस सरप्लस बिजली को भी हम उत्तरांचल प्रदेश की शर्तों पर उत्तर प्रदेश को देंगे या उत्तर प्रदेश द्वारा पहले से ही जो निर्धारित कर लिया गया उस पर देने के लिए हम बाध्य होंगे। अर्थात् जिस वक्त हमको उत्तर प्रदेश से बिजली लेनी पड़ेगी तो हमें उत्तर प्रदेश से ढाई रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ेगी और जो सरप्लस बिजली उत्तरांचल की हम उत्तर प्रदेश को बेचेंगे तो वह 36 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बेचेंगे। मान्यवर, ये तमाम पेचीदें सवाल हैं।

दूसरी बात माननीय अम्बरीष कुमार जी ने टी0एच0डी0सी0 की कही, उस टी0एच0डी0सी0 की तरफ भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज इस प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार करने का साहस जुटा पायें या नहीं, लेकिन यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश ने और भारत सरकार ने कह दिया कि टी0एच0डी0सी0 जो टिहरी प्रोजेक्ट को बना रही है जिसको कि 12, साढ़े बारह प्रतिशत बिजली देने को बाध्य किया जा रहा है।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश द्वारा यह दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, यह बात कही जा रही है कि टी0एच0डी0सी0 में जो 25 प्रतिशत शेयर हैं, वह उत्तर प्रदेश के लगे हैं। साढ़े बारह प्रतिशत बिजली हमें मिलेगी। टिहरी प्रोजेक्ट की क्षमता 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। 2000 मेगावाट का मतलब, लगभग 280 मेगावाट बिजली, जो कि बिना पैसे के हमको मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज आप जिस स्थिति में खड़े हैं, उस स्थिति में इसमें से मुश्किल से 280 मेगावाट का 5 प्रतिशत बिजली उत्तर प्रदेश आपको देने को तैयार होगा। आपकी ओर से बार–बार यह कहा जाता रहा है कि पावर कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों का बंटवारा हमारे पक्ष में हो गया। हम अपने पक्ष में करने के लिए दलील नहीं कर रहे हैं। हम इस बात के लिए प्लीड नहीं कर रहे कि हम किसी के खिलाफ हैं। हम इस बात के लिए प्लीड कर रहे हैं, जो इस प्रदेश का हक है, वह इसको मिले। उत्तरांचल के अन्तर्गत जो परियोजनाएं हैं, जो इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की थी, इस राज्य के अस्तित्व में आने के बाद अब इसमें लेश मात्र भी किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तरांचल के जन–मानस को यह नहीं मालूम कि हम इस प्रदेश को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं।

आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि 9 नवम्बर जिस दिन यह स्टेट अस्तित्व में आया, उस दिन हम जहाँ पर खड़े थे, आज हम उससे काफी पीछे चले गये हैं। जब उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश का अंग था, तब भी उत्तरांचल में विद्यमान परियोजनाओं की बिजली हमें मिलती थी, लेकिन उस समय इन परियोजनाओं के रख–रखाव का जो खर्च था, वह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन वहन करता था। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तारीख से यह राज्य बना है, इन परिसम्पत्तियों का शत–प्रतिशत लाभ उत्तर प्रदेश को मिला लेकिन एक फूटी कौड़ी भी उत्तर प्रदेश ने इन परियोजनाओं के रख–रखाव के लिए खर्च नहीं की।......

मान्यवर, अर्थात् उत्तरांचल सरकार ने खर्च किया। मतलब उत्तरांचल सरकार ने उत्तर प्रदेश के एवज में खर्च किया। वह पैसा हमें नहीं मिला है। आज हालत यह है कि जहां से श्रीमन्, मैं आता हूँ, विकास नगर से, डाकपत्थर से, डाकपत्थर इस परियोजना का बड़ा भारी केन्द्र है। विकास नगर से डाकपत्थर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस रास्ते पर गये हैं। मात्र 750 मीटर की सड़क है उसके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद गये, उसके ऊपर सिंचाई मंत्री जी खुद गये उसके ऊपर जाम–प्रदर्शन। हालत यह है कि वो 750 मीटर की रोड जो कि प्रोजेक्ट की रोड थी, प्रोजेक्ट में पैसा इनको मिला नहीं, इसलिए 750 मीटर की सड़क के गड्डे नहीं भरवा पाये। तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि रोज हम क्या–क्या गंवा रहे हैं। हम करोड़ों रुपये की प्रतिदिन की आमदनी को कौड़ियों के भाव लुटा रहे हैं और हमारी हैसियत नहीं है आज की तारीख में कि उसका लाभ उत्तर प्रदेश से हम ले सकें। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? मनेरी भाली परियोजना में तिलोथ पावर हाउस था जो पिछले दिनों जलमग्न हो गया था, पानी भर गया था। आपने कुछ कार्यवाही भी की होगी, कुछ दोषी लोगों के खिलाफ भी की होगी, लेकिन कारण पूअर मेन्टीनेन्स। किसी अधिकारी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। पूअर मेन्टीनेन्स होगा ही मेन्टीनेन्स के लिए पैसा नहीं है। चीला पावर हाउस में पानी भर गया। पावर हाउस डिफेक्ट हो गया क्योंकि पावर हाउस की प्रापर मेन्टीनेन्स के लिए पैसा नहीं मिला। छिबरो पावर हाउस है देहरादून में ही, उसके अन्दर टरबाईन फूँकी रही महीनों तक, उसके रेस्टोरेशन का इन्तजाम नहीं था। उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन को तो कहना ही बेकार है। वो फिलहाल एक डिफेक्ट ऑर्गेनाईजेशन

है। कब क्रियाशील होगा मैं नहीं कह सकता। सुना है नये सी0एम0डी0 आ गये बहुत जल्दी कुछ होने वाला है।

हम श्रीमन्, एक बात बहुत जोर देकर कहना चाहते हैं कि यह जो परिसम्पत्तियों का सवाल है आज हम स्वतंत्र रूप से इनके बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उत्तर देंगे कहेंगे कि मनेरी भाली के बारे में हमने फैसला कर लिया है हम बनाएंगे। लखवाड़ व्यासी के बारे में जोर देकर कहेंगे कि 420 मेगावाट का उसे बनाइये। 300–400 करोड़ रुपया हम उस पर पहले ही खर्च कर चुके हैं। जो पैसा खर्च कर दिया वह पैसा अनफ्रुटफुल एक्सपेन्डिचर न हो इसलिए उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कहना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए उत्तर देना मुश्किल है। निश्चित रूप से नया प्रदेश है संसाधनों का सवाल आप जरूर खड़ा करेंगे और संसाधन जुटाना कोई हाथ मलने से संसाधन, कई सैकड़ों करोड़ों रुपया आएगा भी नहीं। यदि आपके पास स्वतंत्रता होती तो मैं कह सकता हूँ कि मात्र इस एक वर्ष के अंदर आप उत्तरांचल की जल विद्युत परियोजनाएं थी इससे जो आपको लाभ अर्जित होता, उस पैसे को आप रिसाईकिल करके यदि काम शुरू करते तो भी मनेरी भाली परियोजना का,आपका काम शुरू हो गया होता और लखवाड़ व्यासी के बारे में आप सोच रहे होते। लेकिन हकीकत यह है कि आप नहीं कर पा रहे हैं।

इसके अलावा केवल बिजली उत्पादन ही हमारा लक्ष्य नहीं है। अधिकांश लोगों को गलतफहमी होगी। मैं अधिकांश लोगों को उद्धरण दिया करता हूँ कुछ लोग कहा करते हैं, कुछ लोगों ने सवाल किया। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी वहाँ के माननीय सिंचाई मंत्री हम से कहने लगे मुन्ना सिंह जी, पानी कहाँ बिकता है तो हमने उनको गिनाना शुरू कर दिया। एक तरफ से कि कहां तक गिनाएं कि पानी कहाँ–कहाँ बिकता है। वहीं यमुना जी का पानी जो रेग्युलेट करके क्योंकि हम आपको बताएं कि जो हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कम से कम उत्तरांचल की धरत पर बने है वो कोई भी एक उद्देश्यीय परियोजना नहीं है, वो बहुउद्देश्यीय परियोजना है। उसके एक तरफ विद्युत उत्पादन है तो दूसरी तरफ सिंचाई है, तीसरी तरफ फ्लड कन्ट्रोल है, चौथी तरफ इस पानी को रेग्युलेट करना है तब के लिए जब सूखा पड़ता है। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि आज हालत यह है कि यदि ताजियावाला हेड पर पानी जाता है हमारा उस पानी पर भी अधिकार है यदि पानी को ऊपर रोक कर के उसको बेच सकते हैं।

आज की तारीख में भी जो ओखला बैराज पर पानी जाता है, वह हमारे अधिकार में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अधिकार में है। लेकिन, हम यह जानते हैं कि ओखला बैराज पर यमुना जी का पानी जो इकट्ठा होता है, वह पानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली को पीने के पानी के रूप में बेचता है। इससे बहुआयामी लाभ हैं।

......मान्यवर, यह प्रदेश का सवाल है, इसके बारे में सरकार यदि उचित दबाव बनाने में असमर्थ है, प्रदेश की सम्पत्ति पर सबका अधिकार है फर्क सिर्फ इतना है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी और हमारी कम होगी। हमने कहा था इसके बारे में सब को कॉन्फिडेंस में लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि भारत सरकार ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया है। मेरी निश्चित जानकारी है कि उत्तर प्रदेश ने साफ कह दिया है कि जो भारत सरकार ने कहा है, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए श्रीमन्, नयी परियोजनाओं को बनाने का सवाल हो, सफल संचालन का सवाल हो, उसके लाभ इस प्रदेश की आमदनी बढ़ाने में, रोजगार के अवसर सृजन करने में और प्रदेश की माली

हालत को सुधारने में, यहाँ की जन सुविधाओं को बढ़ाने में, कहीं चिकित्सा भी करानी है तो बिजली उसका अंग है। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अपनी इच्छाओं के अनुरूप इसको साकार किया जा सकता है। इस पर तत्काल बिना समय गंवाये कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। मैं अपेक्षा करूँगा आपके माध्यम से आज जिस तरीके से हम अपमानित महसूस कर रहे हैं अपने को और अपने अधिकारों को लेकर के। मनेरी भाली परियोजना का 10 लाख रुपये का केबिल ट्रकों में भर करके उत्तर प्रदेश जा रहा था तो वहाँ के कर्मचारियों ने घेराव डाल करके उसे रोका। अगर प्रदेश मांगा है तो प्रदेश को चलाने की कूबत सरकार में होनी चाहिए। मैं आग्रह करूँगा मा0 मुख्यमंत्री जी से कि जो प्रदेश के सामने अहम सवाल हैं उन पर तत्काल कार्यवाही करेंगे और हमारी जिज्ञासा को शान्त करेंगे।

*श्रीमती "डॉ0" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, जिसे आपने चर्चा के लिए स्वीकार किया। मा0 अम्बरीष कुमार जी द्वारा, मा0 मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा इस पर चर्चा की गई। मान्यवर, यह प्रकरण भारत सरकार तक पहुँचा और केन्द्रीय मंत्री जी के बयान के बाद विरोधाभास तो पैदा हुआ। जो भी निर्णय हुआ ठीक उसके अगले दिन उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री का बयान आया कि हम उन्हें नहीं मानते। इसका मतलब साफ है कि उत्तरांचल में जितनी विद्युत परियोजनाये चल रही हैं, उनके बारे में वह पाँच पैसा प्रति यूनिट जल विद्युत का दिया जाय और हम खरीदेंगे। इस तरह का विवाद उठा था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तरांचल की विद्युत परियोजनाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। यद्यपि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारी परिसम्पत्तियों के बंटवारे से सम्बन्धित हर विषय दिल्ली ले जाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार से सदभावनापूर्ण ढंग से किसी परिसम्पत्ति के बंटवारा कराने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं।

मान्यवर, इसका मतलब साफ है कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार से सदभावनापूर्ण ढंग से आपसी सौहार्द के साथ किसी भी परिसम्पत्ति का बंटवारा करवाने में असफल सिद्ध हुए हैं। मैं यह नहीं कहती कि मंत्रिमण्डल ने प्रयास नहीं किया, प्रयास माननीय मुख्यमंत्री ने विद्युत मंत्री के रूप में भी किया होगा, हमारे वित्त मंत्री ने भी प्रयास किया। लेकिन दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है लेकिन फिर भी यह सदभावना नहीं बन पाई। कोई न कोई रास्ता निकलता है। आपने कहा जो परिसम्पत्ति यहाँ है वह तो रहेगी, लेकिन जब बंटवारे की बात आयेगी तो आप ऐसे–ऐसे प्रश्न खड़े कर देंगे कि आर्थिक बोझ से बना यह राज्य इतने संकट में पड़ जाये कि जनता को जो अपेक्षित लाभ है वह भी हम नहीं दे पायें। यह ठीक है कि जब एक राज्य था तो उत्तर प्रदेश ने उसका इन्स्टालेशन किया, या अन्य विभिन्न कारपोरेशन ने केन्द्र के माध्यम से किया, वह अपनी जगह सही है। लेकिन जब बंटवारे की बात आई तो यह प्रतीत होता है कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार सौहार्दपूर्ण ढंग से उत्तरांचल के साथ परिसम्पत्तियों का बंटवारा नहीं करना चाहती है।

मान्यवर, बहुत छोटे–छोटे मुद्दे जैसे कि उत्तरांचल निवास की जो भारी उपलब्धि हमारी मानी गई या कोई हेलीकाप्टर उस पर भी महीनों लग गये। लेकिन ये विद्युत जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, सारा विकास जुड़ा है, विद्युत से सिंचाई, पेयजल, इन्डस्ट्री उद्योग, आदि जुड़े हैं, विद्युत से हमारी आय का साधन जुड़ा है, उस विद्युत के लिए या तो ये समझा नहीं पाये या वे समझना नहीं चाहते हैं। आखिर हर समय बस्ता ढोकर दिल्ली दौड़ना पड़ता है, यह इनकी गलतफहमी है कि केन्द्र सरकार सारी हमारी बात सुनेगी। वह आपकी उतनी ही सुनेगी जितनी कि उत्तर प्रदेश की सुनेगी। मान्यवर, आप परिसम्पत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं कर पाये। दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, दोनों आपस में बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह मैं नहीं जानती हूँ लेकिन, इससे हम लोग प्रभावित हैं, हमारी आय के साधन भी प्रभावित हैं, हमारी जनता भी प्रभावित है। केवल यह बयान देने से कि सब ठीक हो गया इससे काम चलने वाला नहीं है। नीचे की जनता तक इसका लाभ नहीं पहुँच रहा है। यह बड़ी दुःखद स्थिति है कि तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे हम अपनी सरकार की असफलता समझें और अपने विषय को प्रस्तुत करने में अपनी कमी को स्वीकार करें क्योंकि उन्हें दोष देने से हमारा काम चलने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं कामना करती हूँ कि माननीय विद्युत मंत्री जी, जो अब हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनके लिए अगला वर्ष शुभ हो। जो विद्युत परियोजनाएं हैं, उनकी परिसम्पत्तियां यहाँ पर ले आएं और उनसे आय के साधन प्राप्त कर सकें। परन्तु मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो क्षमता माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर दिखा रहे हैं, वह क्षमता ये उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा पा रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, पिछले जितने भी सत्र हुए हैं, मेरे विचार से उनमें सर्वाधिक समय यदि किसी पर गया है तो वह ऊर्जा है। इस पर अच्छी बहस भी हुई और इसके सार्थक सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्यों ने सारगर्भित और अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कही, इसलिए मैं भी चाहूँगा कि बहुत विस्तार में न जाकर उतने तक ही अपने को सीमित रखूँ। एक बात, जैसा कि अभी माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा कि टी0एच0डी0सी0 का काम पूरा हो गया। तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि उसका कोटेश्वर का जो 400 मेगावाट क्षमता है, में थर्ड स्टेज का काम अभी बचा है, नया राज्य बनने के बाद वहां पर 48 दिन की हड़ताल हो गयी थी, जिसे मैं तोड़कर आया हूँ। इस विषय पर आपने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसमें मैं आपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। टी0एच0डी0सी0 का काम पूरा हो जाएगा तो दधौली सहित कई अन्य बड़ी परियोजनाएं हैं जिनको हम शुरू करेंगे, उनके काम के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से पहले से बात कर ली है, उसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि आप ने फेजेज में क्या तय कर रखा है। तो, यह निश्चित है कि मनेरी भाली स्टेज–2 को हम शुरू कर रहे हैं। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने आग्रह किया लेकिन हमने कहा कि हम अपने संसाधनों से लोन लेकर इसको पूरा करेंगे, क्योंकि अब जल विद्युत निगम के अनुभवी सी0एम0डी0 भी आ गए हैं, जिन्होंने हिमाचल में एक बड़ी परियोजना निजी क्षेत्र की पूरी की है और भी अनुभवी डायरेक्टर आ गए हैं। इसके अलावा आप ने पूछा कि निजी क्षेत्र में क्या होगा। निजी क्षेत्र से हमारे पास बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। लेकिन हमारे पास कठिनाई जरूर है, उत्तर प्रदेश तो कह सकता है कि आपकी बिजली मैं खरीद लूंगा लेकिन हम उनकी बिजली नहीं खरीद सकते क्योंकि वह स्टेट गारन्टी की मांग कर रहा है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से हमारी बात हुई है, उनसे

हमने कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का पावर पर्चेज करने के लिए जो कारपोरेशन है, वो इसको करे। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इच्छुक हैं। अभी एक सेमिनार में यह बात आयी थी कि कैसे यह बात इंटीग्रेट हो कि केन्द्र को, हमको, और अन्य राज्य जिनको जरूरत है, उनके हिसाब से उत्पादन हो। ऐसा न हो कि उत्पादन तो ज्यादा हो जाए लेकिन 10–20 साल तक उसका कोई खरीददार न मिले, उसके लिए सारी योजना बनायी जा रही है।......

मान्यवर, अभी माननीय मुन्ना सिंह जी कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं, आप इतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको अधिकार मिल गया है। साल भर तो आप कहते रहे कि आपको अधिकार ही नहीं मिला अपनी परिसम्पत्तियों पर और 5–11–2001 से हमको हमारी सारी परिसम्पत्तियों पर अधिकार मिल गया है। जो भी हमारा सरप्लस पावर है आज की डेट में, उसकी शर्त यह है कि या तो दोनों मिलकर उसे करेंगे लेकिन उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि या तो वो या तो केन्द्र सरकार करेगी। सरप्लस आज है नहीं, भविष्य में जो भी सरप्लस हमारी बिजली पैदा होगी वह अपने हिसाब से जिसको चाहेंगे, उसको देंगे। इसमें स्पष्ट आदेश हो गया है। थोड़ा स्टाफ की बात है। स्टाफ वाले चाहते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश से क्लीयरेन्स मिल जाये। अगर नहीं भी मिलेगा तो भी विश्वास मानकर चलिए केन्द्र सरकार का आदेश है, उसका उल्लंघन न तो हम कर सकते है न ही उत्तर प्रदेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश को पूरा अधिकार है कि अगर उनके हित में बात है तो बोलें, उसके कारण न तो केन्द्र सरकार विचलित होने वाली है और न ही हम लोगों को विचलित होने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के बारे में भी यही हो रहा है। मध्य प्रदेश ने आपत्ति की, लेकिन उसको नहीं सुना गया। मैं नहीं सोचता कि इसमें किसी को संदेह की जरूरत पड़ेगी। जहां तक आपने 12 प्रतिशत की बात कही है। 12 प्रतिशत वाला शुद्ध रूप से देश का कानून है कि जहाँ–जहाँ पानी है, जहां पर उसका उत्पादन होगा, होमस्टेट को 12 प्रतिशत तो मिलेगा ही मिलेगा। इसे न मिलने का तो सवाल ही नहीं है। टी0एच0डी0सी0 का पूरा 12 प्रतिशत हमें मिलेगा। उस कानून से कोई परे नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि जब आज आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे पास कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कानून में कि आगे चलकर कोई गड़बड़ तो उत्तर प्रदेश नहीं करेगा। उनको अपना चुनाव लड़ना है, वो कह सकते हैं कि साहब मुझे 700 करोड़ का घाटा हो रहा है। हमको भी बहुत घाटा हो रहा है। हमारा घाटा क्या उत्तर प्रदेश पूरा कर देगा। केन्द्र सरकार इसको सुनने वाली नहीं है। उनकी बात का संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो अधिकार है वो हमें मिला है और उसे कोई छीन भी नहीं सकता है। इसलिए इस प्रकार की आशंका करना मैं समझता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है। इन्दिरा जी ने बीच के रास्ते की बात कही है। बीच का रास्ता अगर हम और आप भी बनाते रहते तो बड़ा अच्छा रहता। (व्यवधान)। इसका एक ही रास्ता है कि हम केन्द्र से बातचीत करें। जो भी मामला हो हम केन्द्र से बातचीत करें। इसमें बीच के रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, बीच के रास्ते का कुँवारे को क्या तजुर्बा। (हँसी)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं इतना समझदार नहीं हूँ। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिले की स्थिति अभी बहुत अच्छी है। हम इसके सारे डिस्ट्रीब्यूशन में भी और उत्पादन में भी बड़ी

ही नहीं छोटी योजनाएं भी तुरन्त शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे अधिकार क्षेत्र में चीजें आ गई हैं। और आपको अगले 2–3 महीने में लगेंगे। लखवाड़ व्यासी की बात है, उसके लिए एन0एस0पी0सी0 से बातचीत चल रही है। मैं सोचता हूँ कि अगले एक–डेढ़ महीने के अन्दर ही लखवाड़ व्यासी जो 350 मेगावाट की है, उसको हम सीधे न शुरू करके एन0एस0पी0सी0 से शुरू करवा रहे हैं और सारी इस प्रकार की इन्टीग्रेटेड और कन्सॉलिडेटेड सब प्रकार की चीजें मैं समझता हूँ कि उत्तरांचल के विकास में ऊर्जा का बड़ा स्थान है और हम सभी लोग इसके लिए चिन्तित हैं और उस दिशा में जो–जो भी कॉन्क्रीट सुझाव आएंगे निश्चित रूप से उन सुझावों का और आपको फार्मल बताना है तो मैं आप सभी को फार्मली बुला करके घंटा–दो घंटा–चार घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन जो भी आपके सुझाव आएंगे, उन सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर इतनी चर्चा पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष–

काफी हो गया, कुछ विशेष हो तो बताईये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का विस्तृत उत्तर भाषण हुआ, कुछ शंकाओं का भी निवारण किया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कितनी गम्भीरता से कहा मुझे नहीं मालूम, एक तो आपने अपने उत्तर भाषण में बहुत बड़ी बात कही कि प्रदेश यह विचार कर रहा है कि केवल राज्य को 12 प्रतिशत अपनी मुफ्त की बिजली लेकर के बाकी निजी क्षेत्र के ऊपर छोड़ दें कि वह बनाये या बेचे। क्योंकि आने वाले समय में बिजली की यह भी स्थिति आ सकती है कि खरीदने वाला कोई न हो। अभी तो जो नेशनल सिनेरिया जो पावर सेक्टर का है, उसको देखें तो मेरे ख्याल से पूरा देश ही डेफीसिट है, या जो पर–कैपिटा पावर कन्सम्प्शन है, उस हिसाब से हम बिलो पावर्टी लाइन में हैं। इस सवाल के बारे में सोच रहे हैं कि बिजली खरीदने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। "हियर इज ए ग्रेट नीड टू इन्क्रीज द कन्सम्प्शन ऑफ पावर टू लेज द स्टेन्डर्ड ऑफ ईच" इस प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का एक ही तरीका है कि यहाँ बिजली की खपत बढ़े। यह एक बुनियादी सवाल है। इतनी बड़ी बात आपने कह दी। लेकिन आज जो इन्डीकेटर्स है, डेवलपमेंट का उसमें से एक बड़ा आयाम यह भी है कि कन्सम्प्शन का लेवल क्या है, वह दर्शाता है कि देश या प्रदेश के व्यक्ति की उन्नति का आधार कितना है। दूसरी यह बात मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि यह बुनियादी सवाल है। यह बहुत अच्छा लगता है कि साढ़े 12 प्रतिशत हम लोग मुफ्त में देते रहें, बिजली घर और परियोजनायें दूसरे बनाते रहें। कहीं से पैसा लाओ, कहीं से बनाओ, लगता बहुत आसान है। इसका जो दूरगामी प्रभाव है, उसको नजरअंदाज करके, इस प्रदेश के अन्दर हम बात करेंगे। आज इस बात की सख्त जरूरत है कि यहाँ पर राज्य सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में परियोजनाओं का निर्माण कराये तो यहाँ की पूँजी यहाँ के काम आयेगी। मान्यवर, यह मेरा सुझाव मात्र है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में कहीं स्पष्ट नहीं किया जो बात मैंने जोर देकर के हाईलाइट की थी कि हमने साल भर खैरात बाँटी, उसका हिसाब है या नहीं कि साल भर में हमने कितने बेनिफिट दिये उसके एवज में कितना रिटर्न हमें मिला, या उसको सरेन्डर कर दिया। इसका उत्तर अभी तक नहीं दिया। उसकी वजह से स्थिति यह है कि किसी भी परियोजना के रखरखाव में सरकार कहे कि हम इंतजाम करने जा रहे हैं, यह एक दिगर बात है। लेकिन जो आपका हक था वह मिला

या नहीं मिला। जो साढ़े 12 प्रतिशत की बात है, टी0एच0डी0सी0 के मामले में, बाकायदा अधिकारिक तौर पर ऑफिसियल स्टैण्ड यू0पी0 स्टेट का है और अभी तक उनके स्टैण्ड के साथ ही भारत सरकार है। उत्तरांचल के स्टैण्ड के साथ भारत सरकार नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से इस गम्भीर विषय पर आपके माध्यम से मैं जरूर कुछ न कुछ स्थिति साफ करना चाहता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा अहम था, सामान्य रूप से एक साल में 5 करोड़ 37 लाख रुपया सुधार के लिए आना चाहिए था क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित हो रहा था और उत्तर प्रदेश के द्वारा 67–68 लाख रुपया उसमें आया है और इसकी देखरेख उत्तर प्रदेश नहीं कर रहा था। इसके लिए हमने सेन्टर से बोला और सेन्टर ने इस को सीरियसली लिया भी है और उन्होंने इसका समाधान भी जल्दी से किया और अब हम अपनी आगे की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं।

मान्यवर, जो आपने निजीकरण की बात बोली उसके लिए हम टी0एच0डी0सी0 को और अधिक योजना देना चाहते हैं, एन0एच0पी0सी0 जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है उस को भी हम और अधिक योजना देना चाहते हैं। हम कुछ बड़ी योजना भी लेंगे, कुछ छोटी योजना भी चलायेंगे और धीरे–धीरे इसको आगे बढ़ाते जायेंगे। लेकिन कुछ तो निश्चित रूप से निजी क्षेत्र को भी देना पड़ेगा। चूँकि अब यह हमारे अधिकार में आ गया है तो हम उसका सुनिश्चित रूप से प्राविधान करेंगे, जितना उनको जरूरत होगी, उतना उनको देंगे। लखवाड़ के लिए हमारी एन0एच0पी0सी0 से बात चल रही है, एक–आध महीने में पूरा हो जायेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पंचायत, दिनेशपुर के अध्यक्ष द्वारा किये गये लाखों के घोटाले के सम्बन्ध में है, जिसे मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूँ। दूसरी सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की सूखे के कारण उत्तरांचल में कृषकों की खरीफ एवं रबी की फसल पर कुप्रभाव पड़ने तथा शासन से राहत दिलाने के सम्बन्ध में है, जिसे मैं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूँ।

अब हम उठते हैं, कल पुनः 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 45 मिनट पर बुधवार दिनांक 21–11–2001/अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र,

सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

दि : 20–11–2001

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधान सभा/374–28–10–2002–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

नांल